कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

आरएनआई पंजी. सं.
डीईएलएचआईएन/2007/20953

वर्ष-8, अंक-1
अप्रैल 2015

₹15

किसानों पर कुदरत का कहर

मुसीबत बनी आलू की बंपर पैदावार

कृषि में मौसम प्रबंधन का उपयोग

जरूरी है यूरिया का संतुलित उपयोग

भारत में जल प्रबंधन और चुनौतियां

मिशन इन्द्रधनुष: स्वस्थ भारत की महत्वाकांक्षी योजना

और भी कानून हैं भूमि लूट के

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश
सरकार की नाक का सवाल

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसल की बर्बादी के कारण असमय काल का ग्रास बने हमारे अन्नदाताओं की दुखद आत्महत्याओं और खेत में ही गश खा गये किसानों के दुखद देहांतों पर 'कृषि चौपाल' अपनी गहन संवेदना प्रकट करता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह मृतात्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

कभी सूखा कभी सैलाब आफ़त मार डालेगी,
पहुंच कर भी जो ना पहुंची वो राहत मार डालेगी।

गिरूं कैसे कि गिरने का हुनर सीखा नहीं मैंने,
उसूलों पर रहा काइम तो गुरबत मार डालेगी।

अंधेरे को अंधेरा कह रहा हूं उसके मुंह पर ही,
किसी दिन मुझको सच कहने की आदत मार डालेगी।

मुख़ालिफ लोग भी करने लगे तारीफ बल्ली की,
अगर यूं ही रहा चलता तो शौहरत मार डालेगी।

● बल्ली सिंह चीमा ●

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-8 ❖ अंक-1 ❖ अप्रैल 2015

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

प्रबंध संपादक
गणेश चन्द्र पांडे

सहायक संपादक
खुशाल सिंह

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

वितरण
दलीप जीना

संपादकीय कार्यालय
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

संपर्क: +91 9910406059,
9716407931, 9211915538
ईमेल: krishichaupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

कृषि चौपाल में प्रकाशित लेख और विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा दृष्टिकोण भी वही हो।
किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

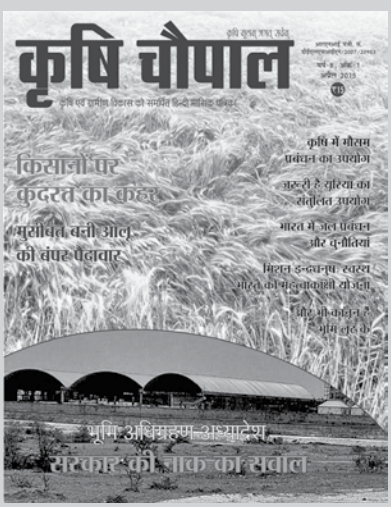

यह राजनीति नहीं संवेदना का वक्त है

बारिश न हो तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है और बारिश तैयार खड़ी फसल पर हो जाये तो किसान को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के किसानों की यही विडंबना है। इस बार मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और अप्रैल में भी मौसम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि किसान अपनी बर्बाद हो चुकी फसलों को समेटे तो कैसे समेटे। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस राष्ट्रीय आपदा जैसे मुद्दे पर भी हमारे राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप की घृणित राजनीति से बाज नहीं आते। किसानों के हितों की रक्षा करना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य होना चाहिए। इस मसले पर भाजपा ने भी बहुत अधिक समझदारी का परिचय अभी तक नहीं दिखाया है। इस बीच केन्द्र सरकार ने मुआवजा राशि को डेढ़ गुना करने तथा फसल के नुकसान का दायरा बढ़ाते हुए इसे 33 फीसदी से 50 फीसदी करने की घोषणा कर किसानों को जो आपदा राहत देने की कोशिश की है, वह स्वागत योग्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने अधीनस्थ बैंकों को निर्देश जारी कर किसानों से ऋण वसूली में पूरी शिथिलता बरतने की बात कही है।

यह तो रही सरकारी स्तर से की गयी घोषणाओं की बात। परंतु यह किसी से छुपा नहीं है कि हमारे देश में राहत राशि को संदर्भित व्यक्ति तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। हालांकि अभी तक क्षति के सही-सही आंकड़े सरकार के पास नहीं आ पाये हैं। किसानों को वाजिब मुआवजा मिल सके इसके लिये राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षति का सही और ईमानदार आंकलन राज्यों के हाथ है। इस मामले में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रबी की फसलें महंगी फसलों में शुमार होती हैं। जाहिर है कि इन फसलों की क्षति का सटीक मूल्यांकन ही किसान को वाजिब क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है। मुआवजे की राशि जब तक किसानों तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की घोषणाओं का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ऋण और मुआवजा लेने की प्रक्रिया इतनी सहूलियत भरी होती तो किसान साहूकार और महाजन की चौखट पर लुटने-पिटने क्यों जाते।

फिलहाल राज्य सरकारें अपने स्तर से किसानों के बिजली और पानी के बिल माफ करने की पहल तो कर ही सकती हैं। इस प्रकार के सकारात्मक सहयोग से एक ओर जहां केन्द्र और राज्य सरकारें अपनी पारस्परिक समझ को मजबूत कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के हितों के संरक्षण में भी दलगत हितों से ऊपर उठने का परिचय दे सकती हैं। दैवीय आपदाओं के बाद मुआवजा प्रदान करने के पिछले अनुभव काफी खराब रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरे सालों में अनेक दैवीय आपादाग्रस्त किसानों को मात्र सौ-डेढ़ सौ रुपये के धनादेश बतौर मुआवजा राशि थमा दिये गये थे। इस वर्ष भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि अनेक दुष्प्रभावित किसानों को मामूली रकम के क्षतिपूर्ति के चेक बतौर मुआवजा राशि थमाये जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें न सिर्फ गैर-जिम्मेदारी भरी हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं।

मौसम के सितम से भारतीय किसानों को कैसे बचाया जाये, इस पर भी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की जरूरत है। अनेक बार किसान आयोग की मांग जोर-शोर से उठी है। केन्द्र सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग पर तमाम गतिरोधों के बावजूद कानून बना डाला है, परंतु किसान आयोग पर वह अभी भी मौन है। इसके साथ ही कृषि में आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार को प्रयास करने होंगे। भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' वाली स्थिति से बाहर निकालने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कृषि में आधुनिकीकरण को अपनाते हुए कृषि को लाभ वाला व्यवसाय बनाया जा सके। अब समय आ चुका है कि भारतीय कृषि को किसानों की दुखद आत्महत्याओं का सबब बनने जैसी शर्मनाक स्थिति से उबारने के प्रयास प्रारंभ किये जायें, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों को अपने-अपने दलगत स्वार्थ त्यागने होंगे।

महेन्द्र सिंह बोरा
संपादक

इस अंक में...

06 किसानों पर कुदरत का कहर

10 मुसीबत बनी आलू की बंपर पैदावार

11 भूमि अधिग्रहण अध्यादेशः सरकार की नाक का सवाल

13 मेलों के जरिए किसानों तक पहुंच

14 कृषि में मौसम प्रबंधन का उपयोग

16 मिशन इन्द्रधनुषः स्वस्थ भारत की महत्वाकांक्षी योजना

17 बदलता मौसम और दमा

18 जरूरी है यूरिया का संतुलित उपयोग

20 और भी कानून हैं भूमि लूट के

21 मुक्ति-शुद्धि कामना - पद्म प्राप्ति साधना

22 भारत में जल प्रबंधन और चुनौतियां

24 बागवानों के दोस्त राजा साहब

26 बहुत आसान खेती है मण्डुवा की

28 मृदा स्वास्थ्य कार्डः एक अभिनव प्रयोग

30 बर्बादी के कगार पर उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था

32 बस्तर का आदिवासी समाज

@ चिट्ठी

आपका मेल मिला पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज भी कुछ लोग हैं जो हमारे किसान भाइयों के विषय में इतनी गंभीरता से विचार करते हैं। मैंने भी इस विषय से संबंधित अपने कुछ विचार एक आलेख के माध्यम से दुनिया की नजरों के सामने रखने का प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा लेखन पसंद आयेगा और आप उसे अपनी 'कृषि चौपाल' पत्रिका में स्थान अवश्य देंगे। मेरी बस एक ही गुजारिश है कि यदि आप मेरे आलेख को अपनी पत्रिका में स्थान दें तो कृपया मुझे उसकी एक प्रति मेरे पते पर अवश्य भेजने का भी कष्ट करें। धन्यवाद।

-पल्लवी

कृपया मुझे 'कृषि चौपाल' अगली बार से न भेजी जाये।

-लक्ष्मण सिंह

'कृषि चौपाल' का फरवरी 2015 का अंक प्राप्त हुआ। देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसे व्यक्ति प्रिंट मीडिया के द्वारा भारतीय कृषि संबंधी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आपका यह कदम सराहनीय है।

'आखिर खेती योग्य भूमि का ही अधिग्रहण क्यों?' लेख सम-सामयिक और राष्ट्रीय महत्व का है। इस पर आपने सटीक टिप्पणी की है। निःसंदेह इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि खेती योग्य भूमि का ही अधिग्रहण क्यों किया जाना चाहिए। एक संवेदनशील सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह कृषि के प्रति हितकारी नहीं है। इससे देश का नुकसान होगा।

'मोदी बनाम केजरीवाल' में लेखक राजनीतिक पार्टियों के साथ न्याय करने में समक्ष नहीं रहा है। यहां बाघ और बकरी का सिद्धांत काम नहीं करेगा। वास्तव में पूंजीपति और मजदूर वर्ग एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। इसलिए ये साथ रहते हैं और इन्हें साथ रहना भी है। इन दोनों के कार्य अलग-अलग हैं।

इसके अलावा इसमें दी गई अन्य सामग्री भी ठीक है किंतु एक बात की कमी प्रतीत होती है। इसमें ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और उन्नत बीज कहां उपलब्ध होंगे आदि जैसे विषयों की जानकारी देना भी जरूरी है। उहाहरणार्थ- बिहार के पटना जैसे शहर में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को मशरूम की खेती करना सिखाया जाता है और अब वे अपने घरों में मशरूम पैदा कर रही हैं। इस प्रकार के प्रयास पंतनगर और पूसा स्थित कृषि संस्थाओं के सहयोग से किये जा सकते हैं। एक प्रश्नमंच जैसा पेज भी पत्रिका में शामिल कर सकते हैं जिसमें पाठक अपनी जिज्ञासाएं रखें और विशेषज्ञ लोग उनका समाधान बताएं।

कुल मिलाकर आपका प्रयास सराहनीय है। इसके लिए आपकी संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है।

-शैलेन्द्र प्रसाद बहुगुणा, अहमदाबाद (गुजरात)

आपके द्वारा भेजा गया कृषि चौपाल का अंक देखा जो किसानों के लिये मील का पत्थर साबित होगा।

-राम विशाल देव

बहुत ही सुंदर अंक है। आपका प्रयास निश्चित तौर पर देश में खेती को बढ़ावा देगा और सरकार को भी इस दिशा में और सोचने के लिए विवश करेगा। पहाड़ की खेती को उपजाऊ बनाने के लिए नियमित कुछ देते रहिए।

-अर्जुन बिष्ट, चमोली, उत्तराखंड

ग्रीनपीस एनजीओ का लाइसेंस रद्द और विदेशी चंदे पर रोक

■ कृषि चौपाल

केंद्र सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए छह महीने के लिए इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है और इस गैर सरकारी संगठन को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर त्तकाल प्रभाव से रोक लगा दी व उसके सभी खातों को सील कर दिया। ग्रीनपीस इंडिया ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि वह 'असहमति के खिलाफ अभियान' से 'झुकने वाला' नहीं है और इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है।

देश की जनता और आर्थिक हितों को 'नुकसानदेह' तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए सरकार ने ग्रीनपीस को नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि क्यों न उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। गृह मंत्रालय ने यह मालूम होने के बाद कि ग्रीनपीस इंडिया ने विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन में पूर्वाग्रह के साथ जनहित और देश के आर्थिक हितों को प्रभावित किया, इस गैर सरकारी संगठन के लाइसेंस को निर्लंबित करने सहित उपरोक्त तमाम फैसले किए। उसके सात बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। एक अधिकारी के अनुसार ग्रीनपीस इंटरनेशनल की भारतीय इकाई को पिछले सात सालों में 53 करोड़ रुपए मिले हैं ।

पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले इस गैर सरकारी संगठन ने कहा कि इस सिलसिले में उसे गृह मंत्रालय से अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। संस्था ने इसे 'कलंकित' करने वाला अभियान करार देते हुए भारत में स्वच्छ हवा, पानी और समग्र विकास के लिए काम करते रहने का संकल्प जताया।

गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों की पिछले छह माह से अधिक समय तक की गई जांच के बाद ग्रीनपीस इंडिया पर तैयार एक दस्तावेज में गृह मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी धन का इस्तेमाल सरकारी नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने और उसके लिए लॉबिंग करने में किया गया। ग्रीनपीस को भेजे नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पाया गया है कि सरकार की अनुमति या उसे सूचना दिए बिना एक खाते से दूसरे खाते में धन स्थानांतरित किया गया और कई खातों में कई प्रविष्टियां की गईं।

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले अनुदान को लेकर नियमों को सरकार की ओर से सख्त किया गया है। दरअसल, सुरक्षा एजंसियों का आरोप है कि करीब 200 विदेशी दानदाता इन संगठनों को चंदा देने की आड़ में धनशोधन में लगे हुए हैं। केंद्रीय खुफिया एजंसियों ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ 188 विदेशी दानदाताओं की सूची साझा की है ताकि उनकी ओर से दिए जाने वाले अनुदान पर नजर रखी जा सके।

इस बीच एनजीओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'ग्रीनपीस इंडिया को अभी तक गृह मंत्रालय से कोई सूचना नहीं मिली है। ग्रीनपीस इंडिया के कार्यकारी निदेशक समित आईच ने कहा, हम भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं। असहमति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे।

ग्रीनपीस इंडिया के कार्यकारी निदेशक समित आईच ने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि हमें बदनाम किया जा रहा है। जब हम केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। उस समय ये सारी बातें अदालत के सामने रखी गई थीं। उसके बाद ही अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था। हमारा भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सरकार असहमति के खिलाफ गैरजरूरी अभियान छेड़ रही है। फिर भी हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे।

20 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को ग्रीनपीस इंटरनेशनल और क्लाईमेट वर्क फाउंडेशन से मिले अनुदान को ग्रीनपीस इंडिया के खाते में जमा करने का आदेश देते हुए मंत्रालय की कार्रवाई को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था। हाईकोर्ट का मानना था कि गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया था कि ग्रीनपीस इंडिया को ग्रीनपीस इंटरनेशनल को छोड़कर सभी विदेशी एजंसियों से फंड लेने का अधिकार है।

गृह मंत्रालाय ने अपनी दलील में कहा था कि ग्रीनपीस इंटरनेशनल को निगरानी सूची में रखा गया है, लेकिन अदालत ने सरकार की उस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास ग्रीनपीस इंटरनेशनल के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं हैं। हमारे काम को लोगों का समर्थन हासिल है और हमें 70 फीसद धन भारतीयों के चंदे से मिलता है।

संस्था का दावा है कि ग्रीनपीस इंडिया ने इस वित्त वर्ष में 30,746 नए समर्थकों को जोड़ा है और इस तरह कुल 77,768 समर्थक ग्रीनपीस को आर्थिक मदद देते हैं। 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष में ग्रीनपीस को प्राप्त 30,36 करोड़ रुपए में से 20.76 करोड़ रुपए भारतीयों के चंदे से प्राप्त हुआ है।

खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में गिरकर 5.17 फीसदी

दूध और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से मार्च महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर 5.17 फीसदी पर आ गई है, जो इसका तीन माह का निचला स्तर है।

फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 5.37 फीसदी थी, जबकि जनवरी में यह 5.19 फीसदी थी। पिछले साल मार्च में यह 8.25 फीसदी के उच्चस्तर पर थी। दूध, सब्जियों व फलों के दाम घटने से कुल खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 6.14 फीसदी रह गई, जो फरवरी में 6.79 फीसदी पर थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मोटे अनाज व उनके उत्पादों के भाव मार्च में गिरे वहीं प्रोटीन वाले उत्पादों मसलन मांस व मछली के भाव में इस दौरान इजाफा हुआ।

मार्च में खाद्य एवं बेवरेज खंड में मूल्यवृद्धि की दर 6.2 फीसदी रही, जो इससे पिछले महीने 6.76 फीसदी रही थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की गणना नए आधार वर्ष 2012 के हिसाब से की गई है।

ईंधन व बिजली वर्ग की मुद्रास्फीति बढ़कर 5.07 फीसदी पर पहुंच गई, जो फरवरी में 4.72 फीसदी पर थी। आवास वर्ग में महंगाई की दर 4.77 फीसदी रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 4.98 फीसदी थी। मार्च में ग्रामीण क्षेत्र संबंधी मुद्रास्फीति कुल मिला कर 5.58 फीसदी रही। शहरी केंद्रों के संबंध में यह 4.75 फीसदी रही।

खाते में आएगी फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी

सस्ते कर्ज का लाभ जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने के इरादे से सरकार फसल ऋण पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी को सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में बैंकों से विचार विमर्श कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बैंकों से पूछा है कि अल्पावधि कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना को मौजूदा स्वरूप में सभी किसानों के लिए चलाया जाए या फिर इसे लक्षित कर इसका लाभ सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही पहुंचाया जाए। मंत्रालय ने बैंकों से इस योजना को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी मांगे हैं।

सरकार इस विकल्प पर भी विचार कर रही है कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत बैंक खाते में ही ब्याज सब्सिडी का लाभ सभी किसानों को दिया जाए या फिर यह सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों तक सीमित रखी जाए। उल्लेखनीय है कि ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसान बैंक से तीन लाख रुपये तक का अल्पावधि लोन सात फीसद सालाना ब्याज दर पर ले सकते है। इस योजना के तहत सरकार दो फीसद ब्याज सब्सिडी देती है जो बैंकों के पास जाती है।

इसके अलावा समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में तीन फीसद की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इस तरह किसानों को मात्र चार फीसद की दर से ही ब्याज चुकाना पड़ता है। सूत्रों ने कहा कि सरकार व्यय सुधारों के मद्देनजर ब्याज सब्सिडी किसानों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार को अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती है कि जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही यह चिंता भी प्रकट की गई है कि इस लोन का इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है या इसका उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।

पिछले पांच सालों में ब्याज सब्सिडी पर सरकारी खर्च

वर्ष	करोड़ रुपये
2014-15	6000
2013-14	6000
2012-13	5400
2011-12	3282
2010-11	3531

मांगे गये अधिग्रहीत भूमि के आंकड़े

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और इसको लेकर मचे घमासान के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से भूमि अधिग्रहण आध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहीत भूमि के आंकड़े तलब किये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश- 2014 लागू होने के बाद से संबंधित राज्यों में कुल कितनी जमीन का अधिग्रहण संभव हो पाया है। राज्य सरकारों से इस पूछताछ के पीछे यह तर्क शामिल किया गया है, इस आधार पर विरोध झेल रहे अध्यादेश की तुलना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल के दौरान बनाये गये संबंधित कानून से की जायेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद ज्यादातर राज्यों का कहना था कि उनके लिये इंच-दर-इंच भूमि का अधिग्रहण करना मुश्किल हो गया था।

राज्यों का नाम लिये बगैर अधिकारी ने कहा कि इसीलिये अनेक राज्यों ने कानून को लेकर अपना विरोध जताया था। जबकि मौजूदा अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद से कई प्रांतों ने अनौपचारिक तौर पर केंद्र सरकार को बताया है कि, इसका अच्छा असर दिखायी दे रहा है। मंत्रालय ने राज्यों और अपने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आधिकारिक रूप से आंकड़े मुहैय्या कराने की ताकीद की है।

माफियाराज से मुक्ति के लिए सोनिया गांधी का घेराव

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात ध्यानी तथा प्रगतिशील पत्रकार मुनीष कुमार पर नैनीताल जनपद स्थित रामनगर के निकट वीरपुरलच्छी गांव में खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला बोल दिया। ग्रामीणों के पहुंचने पर हमलावर उन्हें मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गये। बाद में प्रभात ध्यानी और मुनीष कुमार को रामनगर में प्रारंभिक उपचार के बाद सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। परंतु अभी तक इस मामले में भाजपा और कांग्रेस द्वारा जहां कोरी राजनीति की जा रही है, वहीं स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा भी नामजद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लायी गयी है।

प्रभात ध्यानी और मुनीष कुमार सहित अनेक ग्रामवासियों ने गत 31 मार्च को हुए इस जानलेवा हमले के आरोप स्टोन क्रेशन स्वामी सोहन सिंह तथा उसके पुत्र पर लगाये हैं। इस मामले में सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि हमले के नामजद आरोपी प्रदेश सरकार के खासमखास बताये जा रहे हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि स्टोन क्रेशर स्वामी को राज्य सरकार तथा स्थानीय पुलिस-प्रशासन का पूरा प्रश्रय है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में अनेक नदी घाटी इलाकों में राज्य और बाहर के खनन कारोबारी अवैध खनन के कारोबार में संलग्न हैं। इन खनन कारोबारियों के मुख्यमंत्री तक संबंध बताये जा रहे हैं। यही कारण हैं कि खनन माफिया राज्य में बेखौफ हो चले हैं। जबकि रामनगर, गरमपानी, चौखुटिया, मलेथा, बागेश्वर आदि अनेक स्थानों पर खनन के अवैध करोबार के खिलाफ जन आंदोलन चलाये जा रहे हैं।

इधर इस हमले को लेकर अभी तक शासन-प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और अन्य जनपक्षधर संगठनों ने दिल्ली में आगामी 5 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है।

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार हर वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की अनुशंसाओं, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विचारों तथा अन्य महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर विभिन्न खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी के तहत खरीद केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत एजेंसियों और सहकारी संघों द्वारा किसानों से उनके उत्पादों की खरीद की जाती है। एमएसपी सरकार द्वारा पेश किया गया न्यूनतम मूल्य होता है। उत्पादकों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेचें या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभदायक हो। वह उस विकल्प को अपना सकते हैं।

कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया द्वारा जानकारी दी गयी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी ऊपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे मॉडल अधिनियम, 2003 की तर्ज पर संबंधित राज्य एपीएमसी कानूनों में संशोधन करें।

रुपये प्रति क्विंटल रुपये में

वस्तुएं	किस्म	2012-13	2013-14	2014-15
धान	सामान्य	1250	1310	1360
	ग्रेड ए	1280	1345	1400
ज्वार	संकर	1500	1500	1530
	मालडांडी	1520	1520	1550
बाजरा		1175	1250	1250
मक्का		1175	1310	1310
रागी		1500	1500	1550
अरहर (तूर)		3850	4300	4350
मूंग		4400	4500	4600
उड़द		4300	4300	4350
कपास	मध्यम स्टेपल	3600	3700	3750
	लंबे स्टेपल	3900	4000	4050
सूरजमुखी बीज		3700	3700	3750
सोयाबीन	काला	2200	2500	2500
	पीला	2240	2560	2560
तिल		4200	4500	4600

तैयार हो रही हैं पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक रणनीति

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के मुताबिक बीमारियों से लड़ने और उच्च उत्पादकता देने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित कर पैदावार, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने की दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम-एनएआरएस) ने इस सिलसिले में पिछले पांच साल (2009-10 से 2013-14) के दौरान अलग-अलग खाद्य फसलों की 371 प्रजातियां और संकर किस्में विकसित की हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं।

फसलों की पैदावार, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के कार्यक्रम (बीजीआरईआई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत काम हो रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिये फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकों को बढावा दिया जा रहा है।

राज्यसभा में 20 मार्च, 2015 को कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कुंदरिया ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल में आयोजित 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में उठाये गए मुद्दों और विचार विमर्श की जानकारी दी। श्री कुंदरिया के मुताबिक कांग्रेस में वसा और सॉलिड नॉट फैट (एसएनएफ) तत्व के संदर्भ में दूध का शुद्धता मानक दुबारा तय करने, मौजूदा तकनीकी व्यवहार और प्रोटोकॉल में नई चीजों को शामिल करने, दूध और दूध उत्पादों को ज्यादा देर तक ताजा बनाये रखने और छोटे पैमाने पर मछली का उत्पादन करने वालों के लिए कम लागत वाली पैकेजिंग तकनीक लाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

उन्होंने बताया कि इस कांग्रेस के दौरान की गई विस्तृत सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इन्हें सरकार की नीतियां लागू करने वाली एजेंसियों को भेज दिया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2011 में जलवायु के संदर्भ में लचीली कृषि यानि नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इसके तहत रणनीतिक शोध, तकनीकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित/प्रतिस्पर्धी अनुदान परियोजनाओं के जरिए जलवायु के संदर्भ में भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। मवेशियों, फसलों, मछली पालन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इसके तहत होने वाले शोधों को आजमाया जा रहा है।

सरकार ने 2014-15 से टिकाऊ कृषि के राष्ट्रीय मिशन (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-एनएमएसए) को लागू कर रखा है। इसका लक्ष्य कृषि को ज्यादा उत्पादक, टिकाऊ, आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद और जलवायु के संदर्भ में लचीला बनाना है। इसके तहत स्थान आधारित समेकित/समग्र कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने, मिट्टी और नमी संरक्षण के तरीके अपनाने, समग्र मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रभावी जल प्रबंधन के तरीके आजमाने और वर्षा आधारित तकनीक को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ●

लगभग 600 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में वर्तमान में रबी की फसल लगी हुई थी। जबकि इस वर्ष गेहूं की फसल का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले सिकुड़ा है। मार्च के पहले पखवाड़े तक बेमौसम बारिश और ओलाबारी के चलते 13 राज्यों की तकरीबन 150 लाख हेक्टेअर फसल नुकसान की जद में आ चुकी थी। परंतु सरकारी आंकड़े इस नुकसान को अभी 85 लाख हेक्टेअर ही बता रहे हैं। जाहिर है कि अब यह नुकसान काफी बढ़ चुका है। इससे केवल किसानों को ही नुकसान होगा –यह हमारी भूल होगी। क्योंकि फसल अच्छी नहीं होने से खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी होगी। स्पष्ट है कि देश के 80 प्रतिशत लोग जो कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, वह और अधिक बढ़ी हुई कीमतों पर खाद्यान्न तथा फल–सब्जियां खरीदने को मजबूर होंगे।

किसानों पर कुदरत का कहर

■ **महेन्द्र सिंह बोरा**

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसिंहान की ओर बढ़ रहे थे तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गयी थीं। जब वह दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने कहा था कि देश को नसीबवाला प्रधानमंत्री चाहिए या बदनसीब प्रधानमंत्री। और अब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण लाखों हेक्टेअर रबी की फसल को नुकसान हो चुका है तथा इस नुकसान को देखकर भारत के किसान सदमे के चलते अपने खेतों में ही खड़े-खड़े दम तोड़ रहे हैं। श्री मोदी यह बतायेंगे कि अब यह किसकी बदनसीबी से हो रहा है?

पेट्रोलियम की कीमतों में आयी कमी को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी खुशनसीबी से जोड़कर देश को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि देश को आज तक नसीबवाला नेता मिला ही नहीं और वह पहले नसीबवाले नेता हैं। उनके गद्दीनशीन होते ही देश के दिन बहुरने लगे हैं। हालांकि पेट्रोलियम की अंतर्देशीय कीमतों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पेट्रोलियम की कीमतें घटने का फायदा सिर्फ ट्रॉसपोर्टरों और तेल कंपनियों, तेल व्यवसायियों तथा वाहन धारकों को होता है। तेल कीमतें घटने से कभी भी बढ़ा हुआ वाहन किराया और मालभाड़ा कम नहीं होता है। यह तो रही प्रधानमंत्री के नसीब से जुड़ी कथनी-करनी की संक्षिप्त पड़ताल। और उनके नसीब से जुड़ी खुशनसीबियों की व्यापक पड़ताल उनके ज्योतिषी कर ही रहे होंगे।

आइए, अब हम बात करते हैं देश की उस बदनसीबी की जिसका व्यापक असर आने वाले दिनों में अधिकांश देशवासियों को भोगना होगा। दूसरे शब्दों में यदि यह कहा जाये कि अधिकांश भारतवासियों को भोगना होगा तो यह ज्यादा सही होगा, क्योंकि 'इंडियंस' को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा –यह निश्चित है। कुदरत के कहर से अधमरे हो चुके किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में भी मौसम के साफ होने के आसार नहीं हैं। उधर सत्ताचारण कृषि वैज्ञानिक किसानों को राय दे रहे हैं कि वे रबी की फसल का घाटा दलहनी फसलों को बोकर पूरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि दलहनी फसलें काफी महंगी होती हैं। जो किसान काफी समृद्ध होते हैं वही दलहनी फसलों को उगाने का जोखिम उठा सकते हैं।

दुर्भाग्य यह है कि अभी तक सरकार के पास किसानों को हुए नुकसान का सही आकलन तक उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकेले बरेली जनपद में ही अभी तक बीस किसानों की असमय मौत का कारण बन चुकी यह बेमौसम बरसात देश में अभी और कितने किसानों की मौत का सबब बनेगी, इस भयावहता का सिर्फ

केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले मई के प्रथम पखवाड़े तक किसानों को मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा। बकौल मौसम विभाग– उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू–कश्मीर और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोम के कारण होने वाले मौसमी प्रचंडताओं का अधिक प्रकोप रहेगा। किसान काफी पशोपेश में हैं। एक ओर सरकार उनकी जमीन को लूटने के इरादे से नये–नये कानून जारी कर रही है और दूसरी ओर मौसम ने भी उनके साथ नाइंसाफी का मन बना लिया है।

अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बदायूं के उसहैत इलाके के गांव ककोरी के किसान देवगिरी के पास तकरीबन 12 बीघा जमीन है। उसके बेटे मुनेंद्र ने गांव के ही साहूकारों से एक लाख रुपया कर्ज ले रखा था। 4 अप्रैल को शनिवार की शाम वह (मुनेंद्र) अपने घर से खेतों की तरफ फसल देखने की बात कहकर निकला और अपने खेतों पर पहुंचकर फसलों की बर्बादी का नजारा देख वह इस कदर दुखी हुआ कि उसने वहीं फांसी का फंदा लगा अपनी जान दे दी। अब देवगिरी अपने जवान बेटे की मौत का मातम मनायें या अपनी बर्बाद फसल पर आंसू बहायें, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी आंखें इस दोहरे दुख ने पथरा दी हैं। वहीं नवाबगंज के डंडिया भीर–मनगला निवासी कृष्णदास अपने बड़े बेटे के साथ खेती–बाड़ी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके पास आठ बीघा जमीन थी। गत चार अप्रैल को जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो बारिश और ओलों की मार से पूरी तरह पिट चुकी गेहूं की खड़ी फसल की हालत देखकर वह सदमे में चले गये। इस सदमे के चलते 5 अप्रैल को उनकी जान चली गयी। सीबीगंज इलाके के एक और बुजुर्ग किसान जगदीश लाला ने रूपपुर गांव में अपनी 25 बीघा जमीन में गेहूं की फसल बोई थी। इस फसल के लिए उन्होंने मीरगंज भूमि विकास बैंक से 50 हजार रुपया और एक अन्य सोसायटी से पांच हजार रुपया कर्ज ले रखा था। वह भी 4 अप्रैल को अपनी फसल की दुर्दशा देखकर खेतों पर ही बेहोश होकर गिर पड़े और अगले दिन शहर के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

ऑवला के गांव नौगवाँ अहिरान के 55 वर्षीय किसान सियाराम यादव ने साल 2011 में अपनी 35 बीघा जमीन पर बीस हजार रुपया कर्ज ले रखा था। इस बार गेहूं की अच्छी फसल देखकर उन्हें पूरा भरोसा हो चला था कि इस बार वह गेहूं बेचकर कर्जमुक्त हो जायेंगे। लेकिन कुदरत के कहर ने उनके इस भरोसे का कत्ल कर दिया। तीन अप्रैल को अपनी फसलों की तबाही देखकर उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि वे अगले ही दिन अस्पताल में इलाज के दौरान इस संसार से सदा के लिये कर्जमुक्त हो गये।

ये वे बदनसीब हैं जो अब कभी भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' एकालाप में अपने मन की बात कहने इस जहां में नहीं रहे। किसानों की दु:खद आत्महत्याओं और सदमे से मौत के ये कुछ मामले हैं। इस समय देश के प्रत्येक प्रांत से किसानों को लेकर इस प्रकार की दिल दहला देने वाली खबरें ही आ रही

बेतुके बयान

एक ओर जहां तमाम किसान अपनी फसलों के बर्बाद होने के कारण सदमे में हैं वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे और कारिंदे इस मामले में उलटबांसियां करते फिर रहे हैं। पिछले दिनों कृषि सचिव सिराज हुसैन ने अपने एक बयान में दावा किया था कि हालिया तापमान में गिरावट के कारण गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि होगी। उन्हीं दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक भी यह कह रहे थे कि बारिश के बावजूद गेहूं की पैदावार में 10 करोड़ टन तक की बढ़ोत्तरी होगी। उनका कहना है कि फसल को काफी कम क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है। कृषि शोध संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. केवी प्रभु तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए किसानों को यह राय दे रहे हैं कि वे अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई दलहनी फसलें उगाकर कर सकते हैं। उनकी राय है कि बेमौसम बारिश से खेतों में नमी बढ़ गई है। लिहाजा गेहूं की कटाई के बाद तुरंत उनमें दलहनों की बुआई की जा सकती है। इस प्रकार की राय देते हुए वह यह भूल जाते हैं कि दलहन की खेती व्यावसायिक पैमाने पर छोटा किसान तो करता ही नहीं और शोध संस्थानों में फसल उगाने तथा किसानों के खुले खेतों में खेतीबाड़ी करने में जमीन–आसमान का अंतर होता है। हद तो तब हो गयी जब हाल ही में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री पूर्णेंदु बसु ने अपने वक्तव्य में किसानों की आत्महत्याओं को उनका पारिवारिक मामला बताया। इस मंत्री का कहना था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि किसी किसान की मृत्यु ऋण लिए जाने या फसल की सही कीमत नहीं मिलने के कारण हुई है। सरकार के कारिंदों और कृषि विशेषज्ञों की इस प्रकार की सलाहें यह जाहिर करती हैं कि खेती–किसानी के लिये उनका अध्ययन और दृष्टिकोण कितना ज्यादा अव्यावहारिक है।

हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में औसतन 32 किसान प्रतिदिन खेती-किसानी के घाटे के चलते असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। और देश के शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान का नेतृत्वकारी घटक दल बेशर्मी से बागों के शहर बेंगलूरू में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन में खेती-किसानी के मौजूदा देशव्यापी संकट पर एक शब्द भी संवेदना का नहीं कहता। बल्कि वहां पर जुटे सभी नेतागण प्रधानमंत्री के साथ गलबहियां डालते हुए किसानों की जमीन लूटने का संकल्प उठाते हैं। इससे अधिक होरी और बुधिया के इस देश में और शर्मनाक क्या हो सकता है!

गौरतलब है कि लगभग 600 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में वर्तमान में रबी की फसल लगी हुई थी। जबकि इस वर्ष गेहूं की फसल का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले सिकुड़ा है। मार्च के अंत तक बेमौसम बारिश और ओलाबारी के चलते 13 राज्यों की तकरीबन 150 लाख हेक्टेअर फसल नुकसान की जद में आ चुकी थी। परंतु सरकारी आंकड़े इस नुकसान को अभी 85 लाख हेक्टेअर ही बता रहे हैं। जाहिर है कि अब यह नुकसान काफी बढ़ चुका है। इससे केवल किसानों को ही नुकसान होगा -यह हमारी भूल होगी। क्योंकि फसल अच्छी नहीं होने से खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी होगी। स्पष्ट है कि देश के 80 प्रतिशत लोग जो कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, वह और अधिक बढ़ी हुई कीमतों पर खाद्यान्न तथा सब्जियां खरीदने को मजबूर होंगे।

बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हुआ है। इन पंक्तियों के मुद्रण में जाने तक मिले आकलनों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 97.29 लाख हेक्टेअर, राजस्थान में 45.5 हेक्टेअर, हरियाणा में 19.20 लाख हेक्टेअर मध्य प्रदेश में 5.7 लाख हेक्टेअर, महाराष्ट्र में 3.95 लाख हेक्टेअर, जम्मू-कश्मीर में 3.91 लाख हेक्टेअर, पंजाब में 3.5 लाख हेक्टेअर, हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख हेक्टेअर और उत्तराखंड में भी अधिकांश रबी की फसल बर्बाद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी रबी की फसलों को गंभीर क्षति पहुंची है। अभी इस क्षति के मौद्रिक आंकलन आने बाकी हैं। परंतु निजी सर्वेक्षण संस्थानों द्वारा यह नुकसान इससे कहीं ज्यादा अनुमानित किया जा रहा है।

केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले मई के प्रथम पखवाड़े तक किसानों को मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा। बकौल मौसम विभाग- उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोम के कारण होने वाले मौसमी प्रचंडताओं का अधिक प्रकोप रहेगा। किसान काफी पशोपेश में हैं। एक ओर सरकार उनकी जमीन को लूटने के इरादे से नये-नये कानून बना रही है और दूसरी ओर मौसम ने भी उनके साथ नाइंसाफी का मन बना लिया है।

बीज को भी नहीं बचे दाने

बेमौसम बारिश से केवल खेती को ही नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि इससे उन किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है जो कि अगली फसल के लिये बीज भी स्वयं तैयार करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे बरसात और ओलाबारी से दुष्प्रभावित फसलों का भण्डारण आगामी वर्ष के लिए ना करें। पंतनगर स्थित कृषि-मौसम क्षेत्र इकाई (एएमएफयू) के मृदा वैज्ञानिक प्रोफेसर कुशवाहा का कहना है कि बारिश से भीग चुके गेहूं में कवक लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। श्री कुशवाहा का कहना है कि इस प्रकार के गेहूं को अगली फसल के लिये बीज के रूप में भण्डारित न करें। उन्होंने किसानों को अगली फसल के लिए गेहूं का नया बीज खरीदने की सलाह दी है। जाहिर है कि फसल की बर्बादी का दंश झेल रहे किसानों को अब रबी की अगली फसलों के लिये काफी महंगा बीज खरीदना होगा।

एक ओर किसानों की खेतीबाड़ी बेमौसम बारिश के कारण लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और सब्जी उत्पादकों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों को इतने ज्यादा संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति सूझ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरू में संपन्न हालिया राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकारिणी के सम्मेलन में फसलों की बर्बादी के देशव्यापी संकट पर एक शब्द भी संवेदना का व्यक्त नहीं किया, वहीं कांग्रेस भी इस मामले पर अपने पुनर्जीवन की संभावनाएं तलाश रही है। वास्तव में किसानों की सदमे से मौतों और आत्महत्याओं के मूल में एक कारण जो सबसे ज्यादा उभर कर आया है वह यह है कि उन्होंने बैंकों और महाजनों-साहूकारों से कर्ज ले रखा था। गौरतलब है कि किसानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें बैंकों से ऋण दिलाने का काम बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों के परिचित दलालों के जिम्मे होता है। इन दलालों की कमाई में संबंधित बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी होती है। महाजनों और साहूकारों द्वारा किसानों को काफी ऊंची दरों पर ऋण दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण के लघु वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं- लघु वित्तीय संस्थानों से ग्रामीण लोगों को 24 प्रतिशत की दर से ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। और यह कर्ज साप्ताहिक भुगतान के हिसाब से अंततः 36 प्रतिशत ब्याज में बदल जाता है। इस प्रकार किसानों को कर्ज के इस चक्रब्यूह से बाहर निकल पाना आज आजादी के सात दशकों बाद भी असंभव बना हुआ है। कुल मिलाकर इसका कारण सरकार की तरफ से ऋण प्रदान करने की लचर व्यवस्था है जो अंततः केवल धन कुबेरों को ही लाभ पहुंचाती है।

कुदरत के कहर से किसान जहां अपना बहुत कुछ खो चुके हैं वहीं अब उनके पास मुआवजा ही एक अंतिम सहारा बचा है। क्योंकि उनकी अनेक फसलों का बीमा तो होता ही नहीं है। गौरतलब है कि अनेक खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों और सब्जी-फलों आदि की फसलें बीमा की परिधि से बाहर हैं और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में भी एक सच्चाई है। केवल गेहूं-धान जैसी मात्र 14 खाद्यान्नों के लिए ही एमएसपी निर्धारित किया जाता है। परंतु अब किसानों के साथ मुआवजे और खाद्यान्नों की खरीद को लेकर भी बहुत संवेदनहीन व्यवहार किया जा रहा है। मौसम की मार से अधमरे हो चुके किसानों को अब अपनी क्षतिग्रस्त हो चुकी फसलों के मुआवजे के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। हाल ही में मथुरा में किसानों ने अपनी फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर अनेक स्थानों पर प्रदर्शन और जाम का सहारा लिया। मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को कहना था कि उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और केंद्र सरकार ने किसानों की बर्बाद हो चुकी फसलों का पूरा मुआवजा देने में असमर्थता जतायी है। और उसने यह असमर्थता नीति आयोग के एक फैसले के जरिये जतायी है। उधर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी

राष्ट्रीय आपदा कोष से मुआवजा देने से पहले राज्यों को अपने-अपने राज्य आपदा प्रबंधन कोष तथा आकस्मिक निधि कोष से किसानों को मुआवजा देने की नसीहत दी है। जाहिर है कि केंद्र सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देने से बचने के लिए बहाने बना रही है। कांग्रेस इस मामले में राजनीति की संभावनाएं तलाश रही है। जनता दल (यू), समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि भी किसानों की मदद के बहाने अपने उभार की संभावनाएं तलाश रही हैं। उनका जमावड़ा बहुत जल्द एक गठबंधन का ऐलान करने वाला है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति पर भी किसानों को अब भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने अपने हालिया जारी आदेश में कहा है कि 12 से 14 प्रतिशत नमी वाला गेहूं ही खरीदा जाए। परंतु बारिश के बाद रबी के फसलों की नमी का स्तर खासकर गेहूं की नमी का स्तर इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एफसीआई ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए छह फीसद से ज्यादा नुकसान में आयी फसल की खरीददारी पर पूर्णत: रोक लगा दी है। जबकि मौसम की प्रचंडताओं ने इससे कहीं ज्यादा मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

अब किसानों को मुआवजा बांटने की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा बेमौसम बारिश और ओलाबारी से बुरी तरह तबाह हो चुके किसानों को भारी राहत की घोषणा की गयी है। फसलों के मुआवजे की दर को बढ़ाते हुए डेढ़ गुना कर दिया गया है और अब सरकार ने अपनी ताजा घोषणाओं में उन किसानों को भी मुआवजे के दायरे में शामिल कर लिया है जिनकी फसलें 33 फीसदी तक खराब हो चुकी हैं। गौरतलब है कि मुआवजा नीति के अनुसार नुकसान की यह सीमा पहले 50 फीसदी तक ही थी। सरकार द्वारा आपदा मानकों को संसोधित करते हुए उनमें अब बारिश से होने वाली क्षति को भी शामिल कर लिया गया है। दरअसल आपदा राहत प्रदान करने के मानक अनेक अंतर्विरोधों से भरे हुए हैं। अनेक राज्यों में जंगली और आवारा मवेशियों से फसल को होने वाली क्षति को राहत योग्य नहीं माना जाता है। जबकि अनेक बार केवल सूखाग्रस्तता और बाढ़ग्रस्तता को ही नुकसान के आकलन में मानक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि अभी तक किसानों के कृषि कर्जों को माफ तो नहीं किया गया है परंतु बैंकों को कृषि ऋणों की अदायगी की समयावधि पुन: निर्धारित करने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के मानकों में यह बदलाव प्रधानमंत्री के व्यापक विदेशी दौरों से ऐन पहले केन्द्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के चलते करना पड़ा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बीमा कंपनियों को भी किसानों के प्रति उदार रवैय्या अपनाने को कहा है। गौरतलब है कि ये तमाम घोषणाएं सैकड़ों किसानों की आत्महत्याओं के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी नौ दिवसीय व्यापक विदेश दौरे से पूर्व समारोहपूर्वक की है, परंतु यही राहत घोषणाएं यदि राजनीति के परे जाकर समय रहते कर दी जातीं तो शायद ज्यादा बेहतर होता।

उधर भारत की मौजूदा दौर की 'राजनीति के राजनारायण' अरविंद केजरीवाल ने भी तुर्की-ब-तुर्की दिल्ली देहात के मुंडका इलाके में एक सहयोग रैली आयोजित करते हुए दिल्ली के किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का ऐलान कर डाला। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के किसानों को अन्य कृषि प्रधान राज्यों की तर्ज पर, खाद एवं बीज पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया भविष्य में अमल में लाये जाने का आश्वासन देते हुए उन्हें रियायती दरों पर बिजली भी उपलब्ध कराने की बात की। हालांकि केजरीवाल अपनी घोषणा के दौरान यह नहीं घोषित कर पाये कि दिया जाने वाला मुआवजा किस तरह भूमि और फसल की क्षति के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा अनेक जनपक्षधर संगठनों और किसान संगठनों का भी विरोध झेल रही सरकार को अब जाकर किसानों को आपदा राहत की घोषणा करने की सुध आयी है, जबकि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अनेक किसानों ने अपनी फसलों की बर्बादी देखकर अपने खेतों में ही सदमे में दम तोड़ दिया है। यह सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। अनेक इलाकों में फसल की क्षति का आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे छोटे राज्यों के किसानों के पास तो अगली फसल के लिए बीज बनाने लायक दाने भी नहीं बचे हैं, तो अब यह कवायद किस काम की? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस कवायद को अंजाम भी बड़ी सुस्त रफ्तार से दिया गया।

ओलावृष्टि प्रभावित राज्यों में सबसे पहले कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को भेजा गया और फिर कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान और मोहनभाई कल्यानजीभाई कुंडरिया को देश के विभिन्न हिस्सों व राज्यों में फसल की क्षति का जायजा लेने भेजा गया। अपने इन वजीरों की रिपोर्टों के जायजे के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने खेती पर बरसी आसमानी आफतों से राहत और फिर निपटने के मामले खुद अपने हाथों में लिये हैं। इसी प्रकार सरकार के अन्य मंत्री भी देश के विभिन्न इलाकों में बरसात और ओलाबारी से हुई फसलों की बर्बादी का जायजा लेने के लिए अपने वजीरे आजम के हुक्म पर उड़नखटोलों से टहलते हुए राजधानी आ चुके हैं।

अब देखना यह है कि विभिन्न सरकारों द्वारा घोषित की गयी आपदा राहत राशि, आपदाग्रस्त अभागों के आंगन में कब तक पहुंचती है? इस तथ्य से इस देश की 75 प्रतिशत आबादी अच्छी तरह वाकिफ है कि सरकार से किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करना आदमखोर शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा होता है। राहत घोषणाओं की विद्रूपताओं का सिलसिला उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में प्रारंभ भी हो चुका है। वहां कई किसानों को आपदा राहत के नाम पर 150-200 रुपये की धनराशि के चेक शासन द्वारा थमाये जाने की शुरुआत हो चुकी है। ●

स्वामीनाथन की सलाह

भारत के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने विगत 4 अप्रैल को मौजूदा कृषि संकट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि बेमौसम बरसात से दुष्प्रभावित अनाज को सुखाने के लिए सरकार को किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। श्री स्वामीनाथन ने केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह तथा चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपनी राय व्यक्त की है। गौरतलब है कि श्री स्वामीनाथन भारत में 'हरित क्रांति' के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने पत्रों में कहा है कि जैसे ही बरसात से किसानों को राहत मिलती है, रबी की फसलों की कटाई और अनाज सुखाने के लिए हार्वेस्टर के इस्तेमाल को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मुसीबत बनी आलू की बंपर पैदावार

आलू की बंपर पैदावार की वजह से इसकी कीमतें इतनी गिर गई हैं कि किसान, लागत निकालना तो दूर फसल को खेतों से घर लाने के लिए मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे परेशान पंजाब के कई किसानों ने आलू को सड़कों पर फेंक दिया है। कमोबेश यही हालत पूरे देश के आलू किसानों की है।

■ कृषि चौपाल

बेमौसम बरसात और ओलाबारी से समूचे उत्तर भारत में एक ओर जहां किसान अपनी रबी की फसलों के लगभग पूर्णत: बर्बाद होने से सदमे की हालत में हैं वहीं इस बार आलू की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तकरीबन 4.25 करोड़ टन आलू की पैदावार होने की संभावना जतायी जा रही है। आलू की बंपर पैदावार और कोल्ड स्टोर के भारी अभावों के साथ-साथ मौसम की नाइंसाफी ने भी आलू को खेत में से समय से पहले निकालने को मजबूर कर दिया है। इन हालातों का फायदा उठाते हुए आलू के थोक खरीददारों, बिचौलियों और आढ़तियों की बन आयी है। उन्होंने इसकी कीमतें इस कदर गिरा दी हैं कि देश के अनेक इलाकों में किसानों ने दुखी होकर आलू भरे खेत ही जोत डाले हैं या फिर आलू को सड़कों पर फेंक डाला है।

आलू की बंपर पैदावार की वजह से इसकी कीमतें इतनी गिर गई है कि वे लागत तो दूर, फसल को खेतों से घर लाने के लिए मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे परेशान पंजाब के कई किसानों ने आलू को सड़कों पर फेंक दिया है। कमोबेश यही हालत पूरे देश के आलू किसानों की है। अधिकारियों का कहना है कि इस साल देश में करीब 4.25 करोड़ टन आलू का उत्पादन होने का अनुमान है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आलू को रखने की सुविधा मौजूद नहीं है। देश में करीब सात हजार कोल्ड स्टोर हैं। इनमें से भी 65 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जिनमें से 92 फीसदी कोल्ड स्टोर में सिर्फ आलू रखा जाता है। लेकिन इसबार कोल्ड स्टोर पहले ही भर चुके हैं और उनमें और आलू रखने की जगह नहीं है।

पिछले साल का उत्पादन

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

राज्य	2013-14
उत्तर प्रदेश	**15013**
पश्चिम बंगाल	**12000**
बिहार	**6536**
मध्य प्रदेश	**2322**
पंजाब	**2180**
गुजरात	**2500**

जानकारों के मुताबिक इस बार किसानों को दोहरी मार पड़ी है। पिछले साल आलू का उत्पादन कम होने के कारण इस साल किसानों को मंहगा बीज खरीदना पड़ा। आलू की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद में किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर आलू की खेती का रकबा बढ़ा लिया था। इससे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में आलू की अच्छी फसल हुई है। बाजार में आवक बढ़ने के कारण आलू की कीमतें गिर गईं और किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

केंद्र और राज्यों ने नहीं की मदद: कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के मुताबिक, इस साल आलू की पैदावार 15 फीसदी तक अधिक हुई है। इस कारण आलू की कीमतें तेजी से नीचे आई हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनके उत्पादन लागत का 50 फीसदी जोड़कर समर्थन मूल्य रखा जाएगा।

इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। लेकिन केंद्र अथवा राज्य सरकारों ने आलू की खरीद शुरू नहीं की है। अगर खरीद शुरू करे तो आलू की कीमतों में स्थिरता आएगी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आलू को कम उत्पादन वाले दक्षिणी राज्यों में भेजे या उनका निर्यात करे।

उत्तर प्रदेश किसान जागृति मंच के अध्यक्ष और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुधीर कुमार पंवार के मुताबिक आलू की कीमतें मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। छह महीने पहले आलू की ऊंची कीमतों के मद्देनजर बड़े पैमाने पर किसानों ने आलू की खेती की। हालांकि, आलू को जमा करने में उतनी समस्या नहीं है, जितनी की कीमत नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। यही वजह है कि कई किसान खेत में ही फसल छोड़ देते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल गर्मियों में आलू 35 रुपये प्रति किलो की दर से बिका था, जबकि अब किसान दो से तीन रुपये किलो आलू बेचने को मजबूर हैं। ●

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश
सरकार की नाक का सवाल

अध्यादेशों के लिये बदनाम हो चली मौजूदा केन्द्र सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी अपनी मर्यादित आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। क्योंकि अध्यादेशों का प्रावधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विशेष परिस्थितियों में ही अमल में लाये जाने की परंपरा रही है। परंतु मौजूदा केंद्र सरकार अभी तक 12 अध्यादेश जारी कर चुकी है।

गणेश चन्द्र पाण्डे

गत 23 फरवरी को संसद के बजट सत्र के प्रारंभ के साथ ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर शुरू हुई महाभारत इसी विषय पर एक और संशोधित अध्यादेश के साथ अपने अगले पर्व में प्रवेश कर गयी है। पांच अप्रैल को पुराने अध्यादेश की वैधानिक अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिये नया अध्यादेश लाना केंद्र सरकार की मजबूरी बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के माध्यम से प्रत्येक दो सप्ताह में रविवार को जनता के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिये अपने विचारों को साझा करते हैं, ऐसा उनका कहना है। 22 मार्च को 'मन की बात' कार्यक्रम में श्री मोदी का एकालाप भूमि अधिग्रहण पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने इस कार्यक्रम का उपयोग अपने द्वारा, अपने तरीके से अपनी सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश तथा संसद में बहसतलब भूमि-अधिग्रहण विधेयक के लिये समर्थन जुटाने में किया।

श्री मोदी और उनके सिपहसालारों का आज भी यह मानना है कि उनकी सरकार द्वारा जारी भूमि-अधिग्रहण अध्यादेश राष्ट्रहित में है। इस मुद्दे पर जबसे यह अध्यादेश विपक्ष के निशाने पर आया है तबसे उद्योगपति, राजनेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सबसे ज्यादा मुखर हो गये हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं को इस अध्यादेश पर खुली बहस की चुनौती दी है। इसके बावजूद भाजपा इस अध्यादेश को संसद में बतौर विधेयक पारित नहीं करवा सकी और अंतत: उसे इस विधेयक को पुन: अध्यादेश की शक्ल में एक बार और लागू करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कहना है कि उसने भूमि-अधिग्रहण कानून को किसान

नये अध्यादेश में शामिल किये गये संशोधन

1. राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के दोनों ओर सीमित औद्योगिक कॉरीडोर का निर्माण।
2. प्रभावित मजदूरों के परिवार में एक व्यक्ति को सुनिश्चित रोजगार।
3. आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को पंचायत की मंजूरी आवश्यक होगी।
4. किसान भूमि-अधिग्रहण की सुनवाई के खिलाफ अपील कर सकेंगे।
5. अधिग्रहण के दौरान अपनी जमीन गंवाने वालों की शिकायतों के संज्ञान तथा निपटारों का एक तंत्र स्थापित किया जायेगा।
6. पीपीपी मोड की सामाजिक योजनाओं में प्रावधान लागू होंगे।
7. केंद्र सरकारी संस्थाओं, निगमों के लिये अधिग्रहण कर सकेगा।
8. प्राइवेट एंटिटी के स्थान पर प्राइवेट एंटरप्राइज शब्द का प्रयोग किया जायेगा।
9. औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिये भूमि-अधिग्रहण की सीमा तय होगी।

1996 से अभी तक 15 अध्यादेश पुन: जारी किये गये सात अध्यादेश इनमें में एक बार तथा अन्य दो बार लागू किये गये।

हितैषी बनाया है। लेकिन यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है कि राजग को आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व तक यह ख्याल क्यों नहीं आया जबकि वह केंद्र में पदारूढ़ थे। इसके बाद उन्हें यह ख्याल विपक्ष में रहते हुए क्यों नहीं आया कि यह कानून बदला जाना चाहिये। उन्हें इस कानून को तब्दील करने का विचार तब क्यों आया जब इसे लगभग 119 वर्षों बाद आंशिक रूप से परिवर्तित किया गया। जाहिर है कि इस अधिग्रहण कानून के केंद्र में किसान तो खैर कहीं भी नहीं हैं।

अध्यादेशों के लिये बदनाम हो चली मौजूदा केंद्र सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी अपनी मर्यादित आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। क्योंकि अध्यादेशों का प्रावधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विशेष परिस्थितियों में ही अमल में लाये जाने की परंपरा रही है। परंतु मौजूदा केंद्र सरकार अभी तक 12 अध्यादेश जारी कर चुकी है। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सत्र का समयपूर्व अवसान का फैसला होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र सरकार एक और संशोधित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी करने का मन बना चुकी है। गौरतलब है कि जारी संसदीय सत्र के दौरान कोई अध्यादेश जारी करने के लिये कम से कम एक सदन का सत्र स्थगित करना आवश्यक होता है। चूंकि सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है इसलिये उन्होंने सत्र के मध्यावकाश के दौरान राज्यसभा के सत्र का अवसान करना ही उचित समझा।

पुनः जारी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में उन नौ संशोधनों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें पुराने अध्यादेश को संसद में पारित करवाने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनेताओं द्वारा सुझाया गया था।

अब नये रूप में जारी अध्यादेश को आगामी 20 अप्रैल से जारी होने वाले संसदीय सत्र के दौरान फिर से बतौर विधेयक पारित करवाने की चुनौती केंद्र सरकार के सामाने होगी। संसद सत्र के मध्यावकाश के दौरान सरकार के रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े राजनेता विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं को समर्थन में लाने की कोशिश जारी रखेंगे। श्री गडकरी का जिक्र तो पहले ही किया जा चुका है। उनके अलावा अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन आदि विभिन्न दलों से बातचीत कर रहे हैं। सोनिया गांधी अपने एक पत्र के द्वारा नितिन गडकरी को उनके सवालों का जवाब दे चुकी हैं। संसद सत्र के दूसरे चरण से पूर्व, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक विरोध रैली का आयोजन करने का ऐलान भी कर चुकी है। उम्मीद जतायी जा रही है कि प्रस्तावित रैली की अगुआई करने के लिये राहुल गांधी को कमान सौंपी जायेगी। संभावना जतायी जा रही है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष तब तक अपने अज्ञातवास से राजधानी स्थित अपने अंतःपुर पहुंच जायेंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट सत्र के मध्यावकाश का उपयोग सरकार द्वारा, विपक्ष पर दबाव बनाने के साथ-साथ सरकार के प्रति विकसित हो रही किसाना विरोधी धारणा को बदलने में भी किया जायेगा। जर्मन तानाशाह हिटलर ने एक बार कहा था कि बार-बार दोहराने से झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। शायद केंद्र सरकार इसी तर्ज पर भूमि-अधिग्रहण अध्यादेश के पक्ष में अभियान चलाना चाहती है। दरअसल विपक्ष की अनपेक्षित एक जुटता को देखते हुए ही सरकार को नये अध्यादेश या यूं कहें कि दुबारा जारी अध्यादेश में संशोधनों को शामिल करना पड़ा है।

इस अध्यादेश को भविष्य में संसद में पारित करवाया जा सकेगा या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु भाजपा और उसके आनुषांगिक संगठनों का यह रवैय्या बहुत चौंकाने वाला है कि वे किसानों को भी अपने बयानों में राष्ट्रविरोधियों की तरह व्याख्यायित कर रहे हैं। वह किसान जो देश की जनता को अन्न देता है और जिसकी संततियां देश की सीमाओं पर सन्नद्ध रहती हैं, उसको भूमि-अधिग्रहण का विरोध करने पर राष्ट्रविरोधी के तौर पर प्रस्तुत किया जाना भाजपा और उसके आनुषांगिक संगठनों को भविष्य में महंगा पड़ सकता है। ●

सेज के तहत अधिग्रहीत बेकार पड़ी भूमि को विकसित किया जायेगा

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर जारी गतिरोध के मध्य केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की खाली पड़ी लाखों हेक्टेअर जमीनों के योजनागत विकास पर ध्यान देने की बात की है।

गौरतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक-2005 भी एक ऐसा कानून है जो किसानों की भूमि की लूट के लिए सरकार को व्यापक अधिकार देता है। सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसानों की सहमति हासिल करने के प्रयासों के तहत अब संबंधित राज्य सरकारों को यह आदेश देने की तैयारी कर रही है कि सरकारें खाली जमीनों की उपयोगिता का अध्ययन करके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, इन जमीनों पर विकासपरक गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार कर, केंद्र को अवगत करायें।

केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि जमीनों को यूं ही लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्र को दस मार्च 2015 तक विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक, सेज के लिए अधिग्रहीत की गई 45, 775 हेक्टेयर जमीन में से करीब 18, 023 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। एक अफसर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून पर चल रही रस्साकशी के बीच केंद्र ने खाली जमीनों को लेकर भी कार्ययोजना तैयार करना शुरू किया है।

सूत्रों के अनुसार, जमीन राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन केंद्र सरकार सेज नियमों में बदलाव करके ऐसी जमीनों के लिए कई विकल्प राज्यों को दे सकता है। सरकार के स्तर पर कई तरह के सुझाव और प्रस्ताव सामने आए हैं। इनमें कहा गया है कि खाली पड़ी जमीन को हरा-भरा बनाया जाए, जिससे पर्यावरण के लिहाज से फायदा हो। ऐसी जमीनों पर स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक नए उद्योग लगाने की संभावना तलाश की जायेगी। जिससे लोगों को रोजगार मिले। आधारभूत संरचना का विकास स्थानीय लोगों की सहमति से हो। यह भूमि सरकार कब्जे में लेकर डेवलपमेंट हब के रूप में विकसित करे। जमीनों का लैंड बैंक बनाकर भूमिहीनों को सौंपने पर विचार हो। फिलहाल सरकार सभी पक्षों की सहमति से योजना को अंतिम रूप देगी।

भूमि की उपयोगिता को लेकर सही आकलन नहीं होने से कई सेज निरस्त हुए हैं। सेज को वाकइ में कितनी जमीन चाहिए, इसे सही तरीके से नहीं आंका गया। इससे जरूरत से काफी ज्यादा जमीन आवंटित हुई। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2015 तक देशभर में करीब 37 सेज को डीनोटीफाइड या निरस्त किया गया। जिन उद्योगों को सेज का विकास करना था, उन्होंने आर्थिक मंदी, बाजार की खराब प्रतिक्रिया, कौशल युक्त श्रम की अनुपलब्धता जैसे कारणों का हवाला देकर काम शुरू नहीं किया।

मेलों के जरिए किसानों तक पहुंच

■ कृषि चौपाल

मार्च का महीना एक ओर जहां किसानों पर कहर बनकर बरसा, वहीं इस महीने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान और उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल में पन्तनगर स्थित गोबिनद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय तथा हरियाणा स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार आदि अनेक स्थानों पर कृषि विज्ञान एवं किसान मेलों का आयोजन किया गया। इस प्रकार दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में 10 मार्च से 12 मार्च तक तीन दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने किया।

कृषि विज्ञान मेले का पहला दिन मेले के औपचारिक उद्घाटक केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन के नाम रहा। मेले का उद्घाटन करते हए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त पर लगी पाबंदियों को हटा लिया जायेगा। श्री हुसैन ने कहा कि भविष्य में देश की सभी अनाज मण्डियों को इंटरनेट से सम्बद्ध कर दिया जायेगा, तथा कृषि उत्पादों के लिये साझा राष्ट्रीय बाजार बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलने की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी होगी।

गौरतलब है कि भारतीय कृषि में अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, जो कृषि में अनुसंधान, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास तथा कृषि शिक्षा व प्रसार के क्षेत्र में अव्वल रहा है। तथा 1972 से कृषि मेले का आयोजन करता रहा है। इस बार इस मेले का विषय 'समग्र विकास के लिये पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियां' रखा गया था। विभिन्न वक्ताओं और संस्थानकर्मियों का कहना था कि कृषि विकास हेतु संस्थान ने अपने सफल प्रौद्योगिकी का हस्तांरण करने का सदा प्रयास किया है। मेले के दूसरे दिन आयोजकों द्वारा खेतिहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तथा विचार गोष्ठी एवम् अधिक आय एवं रोजगार के लिए आधुनिक व अन्य तकनीकियां विषय पर एक विचार विनिमय सत्र आयोजित किया गया। परंतु यह सत्र किसानों की गैर मौजूदगी के कारण काफी फीका सा रहा। इसे मेले का समापन नवोन्मेषी किसान सम्मेलन एवं पुरुस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ।

मेले के समापन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने संस्थान के कार्यों की सराहना की तथा सरकार की कृषि नीति को भी श्रोताओं के सम्मुख रखा। वह समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. रविन्द्र कौर ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बढ़ोत्तरी की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कृषि में नवीन तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा चलाये जा रहे अनेक उद्यमों तथा उनके कौशल विकास में संस्थान के कृषि विकास केंद्रों के योगदान एवं कार्यों का भी उल्लेख किया। मेले के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गोष्ठियों को सामाजिक एवं न्याय एवं कानून मंत्रालय की सुहासिनी राव, कृषि मंत्रालय की विशेष कार्याधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल, वी मीना कुमारी, नाबार्ड के जनरल मैनेजर पीसी चौधरी आदि ने भी संबोधित किया।

मेले के दौरान आइसीएआर के डॉ. अयप्पन, संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. एचएम गुप्ता, डॉ. गुरुवचन सिंह, संयुक्त अनुसंधान निदेशक डॉ. केवी प्रभु, पूर्व डीडीजी एमपी सिंह, संयुक्त प्रसार निदेशक डॉ. जेपी शर्मा, डॉ. एस कृष्ण कुमार, प्रभु एस पाटिल, ए सूर्य प्रकाश, एसके मल्होत्रा, पुनीत कौर, कैटट प्रमुख डॉ. बीके सिंह आदि कृषि विद्वानों ने मौजूद किसानों तथा अन्य लोगों को उपयोगी जानकारियां प्रदान की। महिला तथा पुरुष किसान संवर्ग में अलग-अलग वैज्ञानिक पहलुओं से अवगत कराते हुए दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को मेलार्थियों ने काफी सराहा। इस कार्यक्रम में संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. रश्मि अग्रवाल, डॉ. नीरू भूषण, डॉ. सीमा, डॉ. श्रुति, डॉ. जेपी सिंह डबास, डॉ. सुभाष, डॉ. बीआर सागर ने भी उपयोगी सहभागिता की। मेले में देश भर से चुने गये किसानों एवं कृषि उद्यमियों को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं पुरस्कार दिये गये। जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉ. रविन्द्र कौर द्वारा की गयी। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि राज्य मंत्री डॉ. बालियान सहित सभी कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, किसानों, मेलार्थियों एवं संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों एवं अन्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया।

उधर पंतनगर में गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा 13 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित चार दिवसीय किसान मेला भी काफी महत्वपूर्ण रहा। कृषि मेले के समापन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध वैज्ञानिक एसके भदूला ने

दीर्घकालिक कृषि विकास हेतु कृषि के साथ पशुपालन के अन्त संबंधों की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवोन्मेषी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयासों से कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों से अपेक्षा की कि वे छोटे तथा मझोले किसानों को काम आने वाली तकनीकों का विकास करेंगे जो कि एक और हरित क्रांति से हमारा परिचय कराने को आतुर हैं। डॉ. भदूला ने यह भी राय दी कि किसानों की कृषि में विविधता अपनाकर आय में वृद्धि की जा सकती है।

किसान मेले के मुख्य समन्वयक सुदूर शिक्षा निदेशक वाइपीएस डबास के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश के अनेक भागों से लगभग 10,000 किसानों ने मेले में सक्रिय भागीदारी की। किसान मेले में भागीदारी करने वाले किसानों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जेपी पाण्डेय ने उनसे अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने घरों में वापस जाकर मेले के दौरान प्राप्त किये गये ज्ञान को अपने मित्रों तक प्रचारित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे आधुनिक कृषि को तेजी से किसान जगत में फैलाने में मदद मिलेगी।

मेले के दौरान एक किलो के अमरूद तथा बिना बीज वाले नींबू की काफी चर्चा रही। अमरूद की इस किस्म का नाम इसके विकासकों द्वारा वीएनआर बीही रखा गया है।

संस्थान परिसर में विभिन्न कृषि उत्पाद कंपनियों द्वारा अपने-अपने स्टाल लगाये गये थे। कृषि उत्पादों के प्रदर्शन के अलावा मेला स्थल पर ही कृषि उत्पादों की बिक्री भी की जा रही थी। विभिन्न खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों के पौधों और बीजों का भी यहां पर प्रदर्शन किया गया था। अनेक पुष्प प्रजातियों के पौधों का भी यहां पर प्रदर्शन किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अपने उत्पादों, अन्वेषणों और शोधों पर आधारित प्रदर्शन स्टाल भी मेला स्थल पर लगाये गये थे। परंतु यह जानकर अफसोस हुआ कि इन स्टालों पर मौजूद संस्थानकर्मी मेलार्थियों और किसानों को देश की राष्ट्रभाषा में अपने उत्पादों और कृतकार्यों के बारे में अच्छी तरह नहीं समझा पा रहे थे। पूछने पर उनमें से अधिकांश का जवाब था कि हमें हिंदी भाषा को समझने-बोलने में दिक्कत होती है। अत: यह समझा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा की गैरजानकारी की इस हालत में वे संस्थानकर्मी भद्रजन किसानों को क्या और कितना समझा पा रहे होंगे। ●

कृषि में मौसम प्रबंधन का उपयोग

जगदीश चन्द्र पाण्डे

विगत मार्च माह में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण लगभग 106 लाख हेक्टेअर फसलों की क्षति का आंकलन किया गया है। इस मौसमी आफत से रबी की विभिन्न फसलों को कितना नुकसान हुआ है इसका सटीक आंकलन सभी राज्यों से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिलने के बाद ही लगाया जा सकेगा। अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 लाख टन फसलों के नुकसान का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस समूचे नुकसान के लिये सरकार को कटघरे में खड़ा करना तो एक तरह की नासमझी ही कही जायेगी। परंतु वह अनाज जो मण्डियों और विक्रय स्थलों पर खुले में रखा होने के कारण खराब हो गया है, उसके लिये सरकारों को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। खुले में रखा यह अनाज सरकारों की भण्डारण और बिक्री की लुंज-पुंज व्यवस्था के कारण ही खराब हुआ है।

भारत में कृषि आज भी मानसून का जुआ है, जिसमें हमारे अन्नदाता एक पक्ष होते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि कृषि उत्पाद कई कारकों पर निर्भर करता है, परंतु भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में मौसमीय कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम समय तथा क्षेत्र के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। भारत में तो मौसमीय कारक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के मामले में देश आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। जाहिर है कि हमारे यहां कृषि उत्पादन की सफलता और उपज का दारोमदार अनुकूल मौसम पर निर्भर हो जाता है। मौसम की यह अनिश्चितता फसलों की पैदावार पर तो विपरीत असर डालती ही है, इससे किसानों की माली हालत पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। चक्रवात, तूफान, सूखा, बाढ़, गर्म हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, शीत लहरों, पाला, कोहरा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जैसे मौसमीय प्रचण्डताओं के कारण प्रतिवर्ष केवल अनाजों की फसलों को ही नहीं बल्कि फलों और सब्जियों के उत्पादन पर भी भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। इन मौसमीय प्रचण्डताओं से होने वाले नुकसान को केवल अन्नदाता ही नहीं अपितु सभी लोगों को विभिन्न रूपों में झेलना पड़ता है। सिर्फ निंदित बिचौलिया वर्ग ही इन हालातों का फायदा उठाता है और मुनाफा कमाता है।

अब सवाल पैदा होता है कि इन मौसमीय प्रचण्डताओं से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है या फिर इस नुकसान को कैसे कम से कम किया जा सकता है? क्या चरम मौसमी घटनाओं का कृषि में प्रबंधन संभव है? इन सवालों का जवाब तलाशने का जब हम प्रयास करते हैं, तो यह पाते हैं कि तकनीकी विकास के अति आधुनिक युग में विश्व के अनेक देशों में यह संभव हो रहा है कि मौसमीय कारकों के दुष्प्रभावों से बहुत हद तक कृषि उत्पादन को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।

कृषि के लिये प्रतिकूल मौसम के दुष्प्रभावों को कम करने तथा अनुकूल मौसम का लाभ उठाने के लिये, किसानों को सही समय पर मौसम के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिये तथा उसी के अनुरुप खेती के कार्य करने के लिये पूरे देश में 130 मौसम अध्ययन एवं पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श सेवा इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इन इकाइयों की स्थापना राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों में की गयी है।

फसल प्रबंधन में मौसम की जानकारी का उपयोग: मौसम की पूर्व जानकारियों और अनुमानों से किसान, मौसम की प्रचण्डताओं से

अपनी फसल को बचा सकते हैं और बहुत हद तक नुकसान को कम कर सकते हैं।

पाला: सर्दियों में दिसंबर तथा जनवरी माह में पाला पड़ने की संभावना रहती है। पाले से केवल अनाज वाली फसलों को ही नुकसान नहीं होता है बल्कि फलों आदि के वृक्ष भी काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि रात का तापमान 0. सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है तो पौधों की कोशिकाओं के खाली स्थानों में मौजूद जलीय तत्व ठोस बर्फ में बदल जाता है। बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है, जिससे पत्तियों की कोशिकाऐं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनके रन्ध्र नष्ट हो जाते हैं। इससे कार्बन डाइ-ऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा वाष्प की विनिमय प्रक्रिया में बाधा पड़ती है।

मौसम की पूर्व जानकारी से फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। किसानों को अपनी फसलों, सब्जियों और फलों के पौधों पर शाम के समय छिड़काव सिंचाई करनी चाहिये। इससे पौधे अव्यक गर्मी छोड़ते हैं, जिससे पौधों को ठण्ड से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों को हीटर द्वारा गर्मी देने से पाले में कमी आ जाती है। फसल वाले खेत, फलों के बगीचे आदि के नजदीक सूखे खरपतवार घास-फूस और सूखी लकड़ियों को हवा के विपरीत दिशा में जलाने से भी पाले में कमी आती है। प्लास्टिक का, पलवार घास की पुवाल का उपयोग करने से भी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है।

कोहरा: कोहरा फसलों में कवकजनित बीमारियों की वृद्धि के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। पत्तियों में अधिक समय तक नमी होने के कारण तथा नमी के पत्तियों में ज्यादा समय तक रहने के कारण कवक रोग संक्रमण में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। यदि कोहरे का पूर्वानुमान लग जाय तो किसान फसलों की निरंतर निगरानी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कवक या कवकजरित बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर समय रहते उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार की सावधानियों से रोग को फैलने से तो रोका जा सकता है और फसल में होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकता है।

गर्म लहरें: गर्मी के मौसम में जब तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो गर्म लहरें चलने लगती हैं। ये लहरें पौधों में वाष्पन की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं। जिससे पौधों में पानी की कमी हो जाती है और वह पीले पड़ने लगते हैं और बाद में सूख जाते हैं। गर्म लहरों के चलने की जानकारी हो तो फसलों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। शाम के समय पौधों की सिंचाई करने से पौधों को गर्मी से राहत मिलती है। पौधों को सूरज की सीधी किरणों से बचाया जा सकता है। अपारदर्शी छायादार ढांचे को, जो कि लकड़ी या तंतु के बने होते है, को भी इस्तेमाल में लाकर तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी की जा सकती है। इससे पौधे सूखने से बच जाते हैं।

सूखा: भारत में प्रत्येक प्रकार की फसलों को सूखे से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यदि किसानों को मानसून के आने के सही समय तथा इसके कमजोर रहने या ताकतवर रहने की जानकारियां समय पर प्राप्त हो जाती हैं तो वे खरीफ की फसलों की बुवाई सही समय पर शुरू कर सकते हैं। यदि मानसून की शुरुआत में देरी या विफलता आती है तो इस स्थिति में बुआई तथा रोपाई में देरी की जा सकती है। मानसून में ज्यादा देरी होने से मध्य या पछेती किस्म की फसलों की बुआई की जा सकती है। जल्दी तथा मध्यम सूखे के लिए मौजूदा फसलों को नहीं बोकर, कम समय पर तैयार होने वाली फसलें या दलहनी फसलों को उपजाने का विकल्प आजमाया जा सकता है। मध्यकाल में आने वाले सूखे की जानकारी पहले होने पर सिंचाई के लिये पानी का भण्डारण किया जा सकता है और सूखे के समय सिंचाई की जा सकती है।

बाढ़: बाढ़ से भी हमारे देश में फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों की पैदावार ली जानी चाहिये जो कि अधिक पानी में होती हैं। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में फल आदि के बाग भी लगाये जा सकते हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में किसानों को पक्के घर बनाकर निवास नहीं करना चाहिये। क्योंकि बाढ़ के पुर्वानुमानों से जान-माल की रक्षा तो की जा सकती है, परंतु अन्य क्षतियों से नहीं बचा जा सकता है। परंतु बाढ़ प्राथमिक इलाकों मे बहकर आने वाली मिट्टी में अनेक फसलें काफी जल्द पैदावार देती हैं। क्योंकि यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है।

मौसम के पुर्वानुमानों और फसल की ताजा हालत को ध्यान मे रखते हुए संबंधित विशेषज्ञों की राय से काश्तकार, आसामान्य तथा प्रचण्ड मौसम की आपदाओं से बचाव के उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार की राय एसएमएस द्वारा, ई-मेल द्वारा, समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और सचल दूरभाषा सेवाओं एवं सामुदायिक रेडियो प्रसारणों के माध्यम से किसानों तक पहुंचायी जा सकती है। मौसम पूर्वानुमानों पर किये गये अध्ययनों से यह तथ्य उभरकर आये हैं कि इस प्रकार के पूर्वानुमानों से विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने न सिर्फ अपने विभिन्न फसलों के नुकसान को नियंत्रित करने में सफलता पायी है बल्कि लाभ की दर भी बढ़ायी है।

मौसल पूर्वानुमान तथा मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं से किसान फसलों का सही प्रबंधन कर सकते हैं। इससे किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि होगी साथ ही कृषि कार्यों में खर्चों में कमी भी आयेगी। उपयुक्त समय पर मौसम आधारित सलाह के अनुसार कृषि कार्य करने से किसानों की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत किया जा सकता है। परंतु हमारे देश में किसानों तक पूर्वानुमानों की जानकारी पहुंचाने का तंत्र अभी तक काफी अविकसित स्थिति में तो है ही साथ ही सरकार भी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। काश्तकारों-किसानों के प्रति उपेक्षा के कारण हमारा कृषि क्षेत्र कृषिकार्य की उन्नत तकनीकों के उपयोग में काफी पिछड़ा हुआ है। हमारे किसानों का अशिक्षित होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ●

मिशन इन्द्रधनुष
स्वस्थ भारत की महत्वाकांक्षी योजना

■ कृषि चौपाल

मिशन इन्द्रधनुष के तहत भारत में 2013 में 65 प्रतिशत बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का विस्तार कर अगले पांच साल में कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों को टीके लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में सात खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाने पर ध्यान दिया जाना है। ये बीमारियां हैं– गलघोंटू, जोर की खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस–बी।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर, 2014 को 'मिशन इंद्रधनुष' नाम से स्वास्थ्य संबंधी एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह मिशन 2020 तक सबको टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अभी तक टीके से वंचित और आंशिक रूप से टीकाकरण में शामिल किए जा चुके सभी बच्चों को टीके लगाने की विशेष राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में आरंभ किया गया है।

मिशन इन्द्रधनुष के तहत भारत में 2013 में 65 प्रतिशत बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का विस्तार कर अगले पांच साल में कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों को टीके लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में सात खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाने पर ध्यान दिया जाना है। ये बीमारियां हैं- गलघोंटू, जोर की खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस-बी। इसके अतिरिक्त, चुने हुए जिलों और राज्यों में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और जापानी इनसेफलाइटिस से बचाव के टीके भी लगाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम हर साल 5 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में तेजी से वृद्धि के लिए विशेष अभियानों के जरिए चलाया जाएगा।

मिशन इंद्रधनुष के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 201 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन जिलों में आंशिक टीकाकरण वाले या बिना टीकाकरण वाले सबसे अधिक बच्चे हैं। सभी टीकाकरण से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत इन 201 जिलों में रह रहे हैं। 201 जिलों में से 82 जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं। भारत में टीकों से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले करीब 25 प्रतिशत बच्चे इन चार राज्यों के 82 जिलों में निवास करते हैं। देश में नियमित टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए इन जिलों में गहन प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य भारत में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसी बीमारियों से सुरक्षित करना है जिनसे बचाव संभव है।

विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

स्वस्थ भारत के इस अभियान के तहत पहले चरण में 201 जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 2015 में ही दूसरे चरण के अंतर्गत 297 और जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया है। मिशन के पहले चरण का कार्यान्वयन 201 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में 7 अप्रैल, 2015 विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन से आरंभ होगा।

इन जिलों में इस मिशन के तहत पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए पहचानी गई 4,00,000 उच्च जोखिम वाली बस्तियों पर ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में भौगोलिक, जनांकिकीय, जातीय और संचालन संबंधी अन्य चुनौतियों के कारण कम टीके लगाए जा सके हैं। प्रमाणों से पता चलता है कि अधिकतर टीकाकरण से वंचित और आंशिक टीकाकृत बच्चे इन्हीं क्षेत्रों में हैं।

विशेष टीकाकरण अभियानों के जरिए निम्नलिखित क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया जाएगा-

* पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसके अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है-

- प्रवासियों की शहरी झुग्गी बस्तियां
- घुमंतू प्रजातियां
- भट्टा मजदूर
- निर्माण स्थल
- अन्य प्रवासी (मछुआरों के गांव, दूसरी जगह रहने वाली आबादी के नदी तटीय क्षेत्र इत्यादि)
- अल्प सेवा पहुंच वाले और दूरदराज के क्षेत्र (वन क्षेत्र में रहने वाली और आदिवासी आबादी इत्यादि)

- ऐसे क्षेत्र जहां नियमित टीकाकरण का अभाव है
- ऐसे क्षेत्र जहां स्थित स्वास्थ्य उप केन्द्रों में तीन माह से ज्यादा समय कोई एएनएम तैनात नहीं है
- छोटे गांव, बस्तियों, आरआई सत्रों के लिए अन्य गांव के साथ जोड़े गए धनिस या पुरबास

मिशन इंद्रधनुष को लागू करने के चरण

देशभर के महत्वपूर्ण व्यवहारिक क्षेत्रों में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की भांति होगा। इसमें उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां टीकाकरण अभी तक काफी कम हुआ है।

प्रमाण और बेहतर कार्यप्रणाली पर आधारित विस्तृत रणनीति में चार आधारभूत चरण शामिल किए जाएंगे-

1. सभी स्तरों पर अभियानों और सत्रों की व्यवहारिक योजना तैयार करना- नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान पर्याप्त टीका लगाने वालों और सभी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में सभी ब्लॉकों और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म योजनाओं में संशोधन करना। शहरी झुग्गी बस्तियों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों, खानाबदोशों के रहने के स्थानों और दूरदराज के इलाकों जैसे 400,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले स्थानों पर बच्चों तक पहुंच के लिए विशेष योजना तैयार करना।

2. प्रभावी जनसंपर्क और सामाजिक रूप से संगठित करने के प्रयास- आवश्यकता पर आधारित जनसंपर्क की रणनीति के जरिए टीकाकरण सेवाओं के प्रति जागरूकता और मांग बढ़ाना तथा जनसंपर्क मीडिया, मध्य मीडिया, लोगों के आपसी संपर्क (आईपीसी), स्कूल, युवाओं के नेटवर्क और कॉरपोरेट के जरिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से संगठित करने की गतिविधियां।

3. स्वास्थ्य अधिकारियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को सघन प्रशिक्षण- गुणवत्ता वाली टीकाकरण सेवाओं के लिए नियमित टीकाकरण गतिविधियों में स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाना।

4. कार्यबलों के जरिए जिम्मेदारी वाला तंत्र विकसित करना- देश के सभी जिलों में टीकाकरण के लिए जिला कार्यबलों को मजबूत कर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मशीनरी की जिम्मेदारी और स्वामित्व को बढ़ाना और वास्तविक समय के आधार पर कार्यान्वयन में खामियों को समाप्त करने के लिए संयुक्त सत्र निगरानी आंकड़ों का उपयोग करना। ●

बदलता मौसम और दमा

■ कृषि चौपाल

एक कहावत है कि दमा दम के साथ ही जाता है। समय बदलने के साथ यह कहावत भी अब बदल चुकी है। परंतु यह अभी भी उतना ही सच है कि दमा जिसे अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है एक तकलीफदेह बीमारी है। जिनको यह रोग होता है उन्हें बदलते मौसम में ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मौसम के संक्रमण काल के दौरान दमा के रोगियों में खांसी तथा सांस फूलने के लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। इस दौरान वातावरणीय कारकों और मनुष्यों के शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र में होने वाली अंदरूनी तब्दीलियों के कारण दमा पीड़ितों की पीड़ा बढ़ जाती है।

मौसम का दुष्प्रभाव: दमा में रोगी की सांस की नलियों में बदलते मौसम के प्रभाव से सूजन और सिकुड़न आ जाती है। परणिामस्वरूप रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसे कारकों में धूल (घर या बाहर की) या पेपर की डस्ट, रसोई का धुआं, सिगरेट, बीड़ी का धुआं, औद्योगिक वायु प्रदूषण और सीलन प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा फास्टफूड्स, मानसिक चिंता, पालतू जानवर और पेड़ पौधों और फूलों के परागकण दमा की समस्या बढ़ाने के प्रमुख कारक हैं। इन कारकों के संपर्क में आते ही मरीज के शरीर में मौजूद विभिन्न रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिनसे सांस नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं। सांस नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है और उसमें बलगम बनने लगता है। इन सभी से दमा के लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं।

लक्षण: खांसी जो रात में और गंभीर हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई, छाती में कसाव व जकड़न, सीने से घरघराहट जैसी आवाज आना, गले से सीटी जैसी आवाज आना, बार-बार जुकाम होना।

पहचान: अधिकतर लक्षणों के आधार पर दमा की पहचान की जाती है। डॉक्टर द्वारा कुछ परीक्षण जैसे सीने में आला लगाकर पता करना, सीने का एक्स-रे और फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच (स्पाइरोमीट्री) द्वारा दमा की डायग्नोसिस की जाती है।

क्या करें: दमे की दवा हमेशा अपने पास रखें और कंट्रोलर इन्हेलर हमेशा समय से लें; फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए सांस का व्यायाम करें; ठंड से अपने को बचाकर रखें; संक्रमण से बचाव के लिए अगर किसी व्यक्ति को वाइरल बुखार और जुकाम होता है, तो उसे रूमाल या तौलिये के अलावा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे प्रयोग के बाद फेंका जा सके। इससे परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रहेंगे; खान-पान में अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी और मौसमी फल (जिसमें विटामिन सी होता है) जैसे संतरा, आंवला, पपीता और हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए; गले से सीटी जैसी आवाज आना; सांस की अन्य बीमारियों के मरीजों को अपने डॉक्टर से इन टीकों (वैक्सीन) की जानकारी लेनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा के इस वार्षिक टीके से मौसम परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है।

क्या न करें: प्रमुख एलर्जन (यदि मालूम हो) के संपर्क में आने से बचें। एलर्जन वे पदार्थ या वस्तुएं होती हैं, जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति विशेष में दमे का दौरा बढ़ जाता है; घरों में जानवरों को न पालें; घर में धूल को न जमने दें व गंदा न रखें; कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम व फास्ट फूड न लें; तले-भुने मसालेदार भारी भोजन, अंडा और मांसाहारी भोजन भी एलर्जी व दमा को बढ़ावा देता है; धूल-धूएं से अपने आपको दूर रखें।

उपचार: ***रिलीवर इन्हेलर***- ये जल्दी से काम करके सांस नलिकाओं की मांसपेशियों का तनाव ढीला करते हैं और तुरन्त असर करते हैं। इन्हें सांस फूलने पर लेना होता है। ***कंट्रोलर इन्हेलर***- ऐसे इन्हेलर सांस नलियों में उत्तेजना और सूजन घटाकर उन्हें अधिक संवेदनशील बनने से रोकते हैं और गंभीर दौरे का खतरा कम करते हैं। ऐसे इन्हेलर को लक्षण न होने पर भी लगातार लेना चाहिए। दमा के दौरे को रोकने के लिए इन्हेलर का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। ●

जरूरी है यूरिया का संतुलित उपयोग

केन्द्र सरकार ने उर्वरक उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाएं हैं। इसके अंतर्गत एक इंटरनेट आधारित ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली विकसित की गयी है, जिससे उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार निगाह रखी जा सकती है। इस प्रणाली में उर्वरकों के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री जैसे सभी प्रमुख पहलुओं पर लगातार अपडेट दर्ज किये जाते हैं।

■ **कृषि चौपाल**

देश में साल दर साल बढ़ते कृषि उत्पादन और सतत खाद्य सुरक्षा में फसलों के पोषण की अहम भूमिका है। संतुलित पोषण से ऊर्जावान खेत किसानों को अधिकाधिक उपज की भेंट देते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं, जो अधिकांश खेतों में लगभग अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किये जाते हैं। इसके अलावा सल्फर, जिंक और बोरोन कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिन्हें भूमि की जरूरत के हिसाब से किसान खेतों में डालते हैं। इन सबके बीच यदि किसी भी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन का नाम सबसे ऊपर आता है। खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति मुख्य रूप से यूरिया नामक उर्वरक द्वारा की जाती है। यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होती है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है। भंडारण, परिवहन और उपयोग में आसान होने के कारण यूरिया न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय नाइट्रोजन उर्वरक है।

वैज्ञानिकों ने फसलों को संतुलित उर्वरक देने की सिफारिश की है, जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्वों की निर्धारित खुराक तय की गयी है। इस खुराक में भूमि और फसल के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा तय की जाती है। परन्तु देखा गया है कि किसान यूरिया का उपयोग अक्सर जरूरत से अधिक मात्रा में करते हैं। उनकी धारणा है कि अधिक मात्रा में यूरिया देने से पैदावार अधिक होगी तथा मुनाफा बढ़ेगा। परन्तु यह धारणा निराधार और गलत है। यूरिया का उपयोग सदैव वैज्ञानिकों द्वारा सुझायी गयी खुराक के अनुसार ही करना चाहिए।

खेत में जरूरत से अधिक मात्रा में डाले गये यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है या रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसका क्षय हो जाता है। कुछ यूरिया सिंचाई के पानी के साथ बहकर आस-पास के जलाशयों में पहुंच जाता है या रिसाव के द्वारा भू-जल को प्रभावित करता है। इस तरह भूमिगत जल नाइट्रोजन प्रदूषण का शिकार हो जाता है, जिसके कई नुकसान हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल को पेय जल के रूप में इस्तेमाल करने के कारण इससे ग्रामीण आबादी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार खेत में यूरिया की अधिक मात्रा जलवायु परिवर्तन जैसी विपदा को भी बढ़ावा देती है, जिसका पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह भी देखा गया है कि खेत में यूरिया की अधिक मात्रा में मौजूदगी के कारण कुछ अन्य पोषक तत्व भूमि से बाहर निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा भूमि की उर्वरता में लगातार गिरावट के रूप में झेलना पड़ता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि यूरिया की अधिकता से फसल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जो रोगों और कीटों को आमंत्रण देती है। इससे भी किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। वैसे भी यूरिया की अधिक मात्रा के रूप में किसान उर्वरक की अधिक कीमत चुकाता है, जिससे खेती की लागत बढ़ती है और मुनाफा घटता है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयासों ने किसानों के लिए मिट्टी की जांच की सुविधा सुलभ कर दी है। हाल में प्रधानमंत्री ने सॉयल हैल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) योजना भी लागू की है, जिससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी की सेहत व पोषक तत्वों की जरूरत की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को उर्वरकों के उपयोग की वैज्ञानिक सलाह भी प्राप्त होगी। किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके अधिक पैदावार तथा अधिक लाभ अर्जित करें। जहां तक यूरिया के उपयोग की बात है, वैज्ञानिकों ने पत्तियों के रंग के आधार पर फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता को आंकने की तकनीक विकसित की है। इसे लीफ कलर चार्ट या एलसीसी कहते हैं। सभी मुख्य फसलों में खासतौर से चावल और गेहूं में एलसीसी तकनीक के आधार पर यूरिया का उपयोग करने

यूरिया की खपत को कम करने के लिए नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गयी है। इससे जहां एक ओर फसल की पैदावार बढ़ती है वहीं दूसरी ओर पानी, मिट्टी और हवा के प्रदूषण की भी रोकथाम होती है। वहीं यूरिया के उपयोग को संतुलित करने से देश के लिए कुल यूरिया की मांग में जहां कमी आयेगी, वहीं यूरिया का आयात की जाने वाली मात्रा को कम करना संभव होगा

को बढ़ावा देना चाहिए। इससे यूरिया का कम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।

मुख्य खाद्यान्न फसल में यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए फसल उगाने से पहले दलहनी फसलों को हरी खाद, चारे की फसल या अन्य फसल के रूप में उगाने से नाइट्रोजन की आवश्यकता 25 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। फसल प्रणाली और सिंचाई की सुविधा को देखते हुए उपयुक्त दलहनी फसल का चुनाव किया जा सकता है। यूरिया की खपत को कम करने के लिए नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गयी है। इससे जहां एक ओर फसल की पैदावार बढ़ती है वहीं दूसरी ओर पानी, मिट्टी और हवा के प्रदूषण की भी रोकथाम होती है। वहीं यूरिया के उपयोग को संतुलित करने से देश के लिए कुल यूरिया की मांग में जहां कमी आयेगी, वहीं यूरिया का आयात की जाने वाली मात्रा को कम करना संभव होगा और इस प्रकार देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना भी संभव होगा।

कृषि उत्पादन में यूरिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यूरिया के उत्पादन और किसानों तक इसकी पहुंच को आसान बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इस समय यूरिया का उत्पादन करने वाले 30 कारखाने देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान देश में यूरिया का कुल उत्पादन लगभग 227 लाख टन हुआ, जबकि इसकी खपत लगभग 306 लाख टन दर्ज की गयी। किसानों की मांग के अनुसार यूरिया की आपूर्ति के लिए इस दौरान लगभग 70 लाख टन यूरिया आयात किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत में भारी बढ़ोतरी और रुपये के कमजोर पड़ने के कारण यूरिया के सब्सिडी बिल में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नई सरकार ने किसानों और भारतीय कृषि के हित को ध्यान में रखते हुए जारी वर्ष के बजट में उर्वरकों की सब्सिडी को 2,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर लगभग 72,968 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें से यूरिया के घरेलू उत्पादन को 38,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी तथा यूरिया के आयात पर 12,300 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

इस भारी-भरकम सब्सिडी का लक्ष्य यह है कि किसानों को यूरिया अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होता रहे, जिससे वे इसका यथोचित उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें। गौरतलब है कि यूरिया की कीमत में सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। सन् 2002 से 2010 तक के आठ वर्षों में यूरिया की कीमत लगातार लगभग 4,830 रुपये प्रति टन रखी गयी। सन् 2010 में 10 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 5,310 रुपये प्रति टन की गयी। दो साल बाद 2012 में 50 रुपये प्रति टन की बेहद मामूली बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 5,360 रुपये प्रति टन रखी गयी, जो अभी तक बरकरार है।

केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया गया है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के यूरिया उत्पादकों के साथ संपर्कों को गहन बनाया जा रहा है और उनकी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किये गये हैं। इसी का परिणाम है कि जून से नवम्बर 2014 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उत्पादकों की उत्पादन क्षमता का 100 प्रतिशत से भी अधिक उपयोग संभव हुआ है, जिससे कि इन क्षेत्रों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर अब क्रमशः 35.37, 32.39 और 47.05 लाख टन हो गया है। मंत्रालय का दूरगामी लक्ष्य है कि यूरिया उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाये। यूरिया उत्पादन के प्रयासों को गहन बनाने की कड़ी में देश के बाहर यूरिया कारखाने लगाने की भी योजना है। हाल ही में ईरान में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से यूरिया उत्पादन प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी गयी है और ईरान सरकार के सहयोग से इसे शीघ्र ही सक्रिय करने की योजना है।

केन्द्र सरकार ने उर्वरक उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाएं हैं। इसके अंतर्गत एक इंटरनेट आधारित ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली विकसित की गयी है, जिससे उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार निगाह रखी जा सकती है। इस प्रणाली में उर्वरकों के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री जैसे सभी प्रमुख पहलुओं पर लगातार अपडेट दर्ज किये जाते हैं। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को उचित कीमत पर यूरिया तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध होते रहें। इसी में देश की खाद्य सुरक्षा निहित है। ●

और भी कानून हैं भूमि लूट के

■ महेन्द्र सिंह बोरा

वर्तमान में भूमि-अधिग्रहण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार तथा अन्य विपक्षी दलों के बीच जहां संसद में संघर्ष चल रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक किसान और जपपक्षधर संगठन भी देशव्यापी स्तर पर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। भूमि-अधिग्रहण विधेयक पर अभी क्या होगा यह तो समय के गर्भ में है, परंतु इसी प्रकार का एक कानून विकास के नाम पर सन 2005 में लाया गया था जिसे स्पेशल इकॉनामिक जोन एक्ट-2005 कहा गया। यह वर्तमान में सेज (एसईजेड) नाम से पुकारा जाता है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून के समानांतर आगे चलकर विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली-2006 भी बनायी गयी जो वर्तमान में प्रवृत्त है।

दरअसल इस समय संसद से सड़क तक जो घमासान मचा हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून का विश्लेषण भी प्रासंगिक हो जाता है। इस कानून के तहत अनेक ऐसे प्राविधान किये गये जिनके फलस्वरुप एक स्वतंत्र और संप्रभुता सम्पन्न देश के भीतर ही औद्योगिक घरानों को अपने आर्थिक भू-उपनिवेश बनाने की ओर बढ़ने का मौका मिला हुआ है। और वर्तमान में लगभग 490 विशेष आर्थिक क्षेत्र बन चुके हैं। और करीब 225 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के आवेदन संबंधित 'बोर्ड ऑफ अप्रूवल' के पास विचारण हेतु जमा हैं। इस कानून का सबसे काला पक्ष यह है कि 23 अगस्त 2006 को सरकार ने 150 विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था।

ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अनेक मामलों में देश की अधिसंख्य जनता को न केवल बेरोजगारी और भूमिहीनता की ओर धकेल देंगे अपितु इन आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली पीढ़ी भी अनाचार ग्रस्तता की ओर बढ़ेगी यह निश्चित है। इस कानून पर और कुछ कहने से पहले इसके प्रावधानों पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। इसके तहत आर्थिक मामलों में आर्थिक क्षेत्रों (सेज) में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की छूट दी गयी है। इन क्षेत्रों में स्थापित कम्पनियों को आयात-निर्यात नीति के तहत भी अनेक प्रकार की रियायतें दी जाएंगी तथा इन क्षेत्रों में स्थापित कम्पनियों को हमारे प्राकृतिक संसाधनों यथा-जल, जंगल, जमीन के मनमाने दोहन की इजाजत है। इनको दी गयी इन विशेष कृपाओं पर वित्त मंत्रालय ने आंकलन कर यह राय जाहिर की है कि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दी जाने वाली विभिन्न कर रियायतों से देश को तकरीबन 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा।

स्पष्ट है कि इस राजस्व घाटे का नकारात्मक असर ग्रामीण विकास एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। इन योजनाओं का एक भयावह और नकारात्मक सामाजिक पहलू भी है। इस कानून के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्रों में एक खास उम्र वर्ग (18 से 30 वर्ष) की मानव श्रम शक्ति को ही कार्य की अनुमति मिलेगी। जाहिर है कि इन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में देश की युवा और ऊर्जावान पीढ़ी का जैविक शोषण भी किया जयेगा, जिससे कि उनमें न केवल शारीरिक और मानसिक विकार पैदा होंगे बल्कि हमारा समाज अनेक प्रकार की विकृतियों की ओर बढ़ेगा। गौरतलब है कि चीन में इसी प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र 'सेंजेन' में एड्स के बीमारों की वृद्धि दर उस देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सर्वाधिक दर्ज की जा रही है।

इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से श्रम का शोषण तो होगा ही और साथ ही शोषकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाना भी हमारी न्यायपालिका के लिये लगभग असंभव हो जायेगा। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों पर हमारे संविधान के अंतर्गत आने वाली श्रम विधियां-कानून लागू नहीं होंगे तथा इन क्षेत्रों पर संबंधित कंपनियों का पूर्ण स्वामित्व होगा और उनकी ही मर्जी के नियम लागू होंगे। राजग सरकार आज जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर रोजगार-विकास और नियोजन के बड़े-बड़े दावे कर रही है, उसी तरह के दावे तत्कालीन संप्रग सरकार द्वारा भी विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून को लेकर किये गये थे। तत्कालीन सरकार का दावा था कि इन क्षेत्रों की स्थापना और विकास से लाखों की संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे। और आज एक दशक बाद हकीकत सबके सामने है। पूर्व संप्रग सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि अभी तक 490 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये भूमि-अधिग्रहण हुए परंतु इनमें से 45 प्रतिशत अधिग्रहीत भूमि पर आज करीब एक दशक बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल भूमि-अधिग्रहण के फलस्वरूप दिया जाने वाला मुआवजा वैकल्पिक आजीविका के तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और सरकार भूमि-अधिग्रहण के मामले में हमेशा जो यह तर्क देती आयी है कि इससे होने वाले विकास कार्यों के द्वारा बेराजगारी पर नियंत्रण पाया जायेगा। यह तर्क आजतक के विभिन्न भू-अधिग्रहण मामलों के परिणामों से स्वतः खारिज हो जाता है। सच्चाई यह है कि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों या इसी प्रकार के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जितना रोजगार उत्पन्न होगा उससे कई गुना ज्यादा किसानों और खेत श्रमिकों

तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों की आजीविका एक झटके में समाप्त हो जायेगी।

उल्लेखनीय है कि मात्र 67 बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये ही कुल एक लाख 34 हजार हेक्टेअर जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। अकेले हरियाण सरकार ही रिलायंस कंपनी को 25 हजार एकड़ विकसित कृषि भूमि सुपुर्द कर रही है। इसी भांति दिल्ली और उसके पड़ोसी तथा नजदीकी राज्यों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये तकरीबन तीन लाख एकड़ उन्नत खेती की जमीन देशी-विदेशी कंपनियों के हवाले की जानी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो या सरकार में जो भी राजनीतिक दल रहे हों, इतिहास बताता है कि उन सबने कृषि के क्षेत्र में प्राक्-पूंजीवादी आर्थिक-सामाजिक रिश्तों को बनाये रखने तथा पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शोषण को बढ़ावा देने की नीतियों का ही सदा निर्माण किया है। खासकर तब से जबसे कि भारत ने नयी आर्थिक नीतियों को अपनाया है और विश्व व्यापार संगठन में उसकी भागीदारी हुई है। विश्व व्यापार संगठन के दबाव में जहां एक ओर कृषि सहायता में कटौती होती चली गयी, वहीं दूसरी ओर खादों, बीजों, कीटनाशकों एवं खेती बाड़ी के विभिन्न हस्तचालित तथा स्वचालित उपकरणों की कीमतें भी बढ़ती चली गयीं। किसानों और श्रम के शोषण के लिये इतना ही कम नहीं था बल्कि सिंचाई के साधनों और बिजली के वितरण को भी निजी हाथों में सौंप दिया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि इस बार कृषि बजट में मामूली बढ़ोत्तरी की है परंतु यह बढ़ोत्तरी वास्तव में प्रतीकात्मक है तथा भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिये किसानों को डाला गया चुग्गा जैसा है।

आज किसान अनेक मोर्चों पर लड़ने को मजबूर हो गये हैं। उनके सामने सबसे पहले तो अपनी जमीन बचाने का सवाल है, और फिर उस जमीन से अच्छी फसल उपजाने का सवाल है और यदि अच्छी फसल उपजा भी लेता है तो फिर उसे मौसम की बेरहमी से बचाने का सवाल है। विगत सात दशकों से किसानों को लेकर हमेशा लंबे-चौड़े चुनावी वादे हुए खेती-बाड़ी के विकास को लेकर भारी-भरकम शोध हुए परंतु वस्तुस्थिति यही है कि किसान यानि भूमि का बेताज बादशाह आज भी भूखे पेट सोता है और कमर पर तौलिया लपेट कर दिन निकलने से पहले खेतों में कमर झुका कर दिन ढलने तक मेहनत करता है। क्या कृषि प्रधान देश में अब यही उसकी नियति है? ●

मुक्ति-शुद्धि कामना पद्म प्राप्ति साधना

■ **पं. देबकी नंदन परमानंद कश्यप**

वे जा रहे हैं। नाचते हुए-गाते हुए। फिल्मी गीतों की धुनों पर आधारित भजनों को सुनते-गुनगुनाते हुए। सभी हैं इसमें। नर-नारी, वृद्ध-आबाल। उत्सवी धर्मगुरु-सेलिब्रिटी साधु। जत्थे में शामिल सभी नारियों के सौभाग्यशाली सिरों पर जलविहीन कलश सुशोभित हो रहे हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मंजिल भी राजधानी है। यह सारा जत्था 'यमुना मुक्ति' अभियान पर है। यह जत्था उसे मुक्त करने जा रहा है, जो मुझ जैसे अरबों पतितों को मुक्त कर चुकी है। यमुना संकट में है। गंगा संकट में है। सरस्वती लुप्त हो चुकी है। जत्थे में शामिल सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यमुना को मुक्त करेंगे। उन्होंने यमुना की मुक्ति के लिये रक्षक दल बनाया है।

'यमुना मुक्ति' का जत्था राजधानी की ओर पदयात्रा पर है। पदयात्रियों के चेहरे रक्ताभ हैं। उनके वस्त्रालंकारों से ऐसा लगता है कि वह सभी श्रृंगारालयों से सद्य: सज-धजकर राजधानी की ओर जाने वाली सड़क पर आये हैं। पदयात्रा में शामिल नर-नारियों, सेलिब्रिटी साधु-संतों, उत्सवी धर्मगुरुओं के सुकोमल मुखों पर पसीने की बूंदें ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे कि कमल की पंखुड़ियों पर सुबह की शबनम गिरी हो। यमुना मुक्तिकामियों के रक्ताभ मुखमंडल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें भारत की गड्ढेदार निर्मम सड़कों पर और भारत के श्रमसाध्य पथों पर पथसंचलन का अभ्यास नहीं है। अधिकतर यमुना मुक्तिकामी समाज के उस अभिजात्य वर्ग के दिखायी दे रहे हैं जिनके अंत:पुरों में दो या इससे अधिक स्वचालित यान सदा ठहरे हुए रहते हैं। इन स्वचालित यानों की चकाचक सफाई इनके सेवक नित्यप्रात: स्वच्छ मृदुजल से करते हैं। और यह चाहते हैं कि देश की नदियों को बचाया जाय। भारत देश के अधिकांश उत्सवी संतों और सेलिब्रिटी साधुओं के यमुना-गंगा के किनारों पर अवस्थित सुविधा भोगी 'आध्यात्मिक आश्रमों' का जल-मल कहां जाता है, यह सवाल आज तक कभी नहीं उठाया गया। यमुना कैसे सिकुड़ गयी, उसका विशाल तट कहां गया यह भी अपने आप में अबूझ पहेली है। यमुना-गंगा और ऐसी ही अनेक सदानीरा नदियों पर विशालकाय बांध बने, नहरें निकलीं, इनका लाभ क्या इन यमुना-गंगा मुक्तिकामियों ने नहीं उठाया।

वे चाहते हैं कि यमुना भी बहे, गंगा भी बहे और अविरल बहे, परंतु बांध भी बनें, बिजली भी बने। नहीं तो नदियों की मुक्ति-शुद्धि का वातानुकूलित चिंतन मुक्तिकामी कैसे करेंगे। उन्हें इन नदियों के सुरम्य तटों पर पंचतारा सुविधा सम्पन्न योग-अध्यात्म के केंद्र भी चाहिये, परंतु उनका यह भी कहना है कि नदियों के निकट अवैध निर्माण न हो। उन्हें चर्मशिल्प की उत्तम वस्तुएं भी अभीष्ट हैं, परंतु वह चर्म कारखाने भी नहीं चाहते। मुक्तिकामियों को शुद्ध पर्यावरण चाहिये परंतु उन्हें पर्यावरण सम्मेलन भारत जैसे अशुद्ध हवा-पानी वाले देश में नहीं अपितु सदाबहार वनों वाले विदेशी मुल्कों में पसंद है। इन्हें सघन वन चाहिये परंतु इनके अंत:पुरों और प्रसादों में बोनसाई वृक्ष सुसज्जित होते हैं। इनको हर्बल टी पसंद है परंतु इनके घरों में शायद तुलसी का पौधा भी गमले में न हो। इनको गौमाता की चिंता है परंतु इनके पास गौशाला के लिये स्थान नहीं है। वे भारत माता की जयकार कर रहे हैं, परंतु इनके नौनिहाल विदेशों में शिक्षित-दीक्षित हैं। इनको शांति चाहिये, परंतु स्वचालित रामचंगी का अनुज्ञापन भी चाहिये। उन्हें जैविक उत्पाद पसंद हैं, परंतु रासायनिक खादों की फैक्ट्रियां भी वही चलायेंगे। कीटनाशकों की निर्माण इकाईयां भी स्थापित करेंगे। वह फ्रिज के बगैर जी नहीं सकते, परंतु उन्हें क्लोरो-फ्लोरो गैसों पर प्रतिबंध चाहिये।

वे जायेंगे। यमुना को मुक्त करायेंगे। राजधानी जाकर अपनी विजय की पताका फहरायेंगे। एक-दूसरे को पुष्प-माला पहनायेंगे। पत्रकार वार्त्ता करायेंगे। संपूर्ण विश्व को अपने कृतित्व का महत्व समझायेंगे। सांयकाल कैण्डल लाइट डिनर पायेंगे। अपने संदेश वाहकों को मंत्रालय तक संदेश देने की जिम्मेदारी देकर योगनिद्रा मग्न हो जायेंगे। यह निश्चित है कि आगामी वर्ष वह पद्म पुरुष्कार पायेंगे। यमुना बहती रहेगी- गंगा बहती रहेगी। सब कुछ सहती रहेगी। हिमालय के चरणों से निकलकर ग्रामीण भारत के गांवों से होते हुए गंगासागर तक बहने वाली निर्मल गंगाओं ने मुझ जैसे पातकी-पतित सदा तारे हैं, वह आगे भी तारती रहेंगी। ●

भारत में जल प्रबंधन और चुनौतियां

■ कृषि चौपाल

जल ही जीवन है। जी हां अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पृथ्वी की लगभग 71 प्रतिशत सतह जल से आच्छदित है जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97 प्रतिशत, हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4 प्रतिशत और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों मे 0.6 प्रतिशत जल पाया जाता है। पृथ्वी पर बर्फीली चोटियों, हिमनद, झीलों का जल कई बार धरती पर जीवन के लिए साफ जल उपलब्ध कराता है। शुद्ध पानी- स्वाद में फीका होता है जबकि सोते (झरने) के पानी या लवणित जल (मिनरल वाटर) का स्वाद इनमें मिले खनिज लवणों के कारण होता है। सोते (झरने) के पानी या लवणित जल की गुणवत्ता से अभिप्राय इनमें विषैले तत्वों, प्रदूषकों और रोगाणुओं की अनुपस्थिति से होता है।

भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 18 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है जबकि विश्व का केवल चार प्रतिशत नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भूक्षेत्र का 2.4 प्रतिशत भूक्षेत्र भारत के पास है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किमी होती है। धरातलीय जल और पुन: पूर्तियोग्य भूमिगत जल की उपलब्ध मात्रा 1,869 घन किमी है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन लगभग 1,122 घन किमी होता है।

भारत में जल के उपयोग की मात्रा बहुत सीमित है। इसके अलावा, देश के किसी न किसी हिस्से में प्राय: बाढ़ और सूखे की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है। भारत में कुछ नदियां, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां देश के कुल क्षेत्र के लगभग एक-तिहाई भाग में पाई जाती हैं जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60 प्रतिशत जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियों, जैसे- गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है।

जल संसाधन का लगभग 46 प्रतिशत गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भूमिगत जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भूमिगत जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भूमिगत जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने में कठिनाई होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल-पुथल और विघटन का कारण हो सकती है।

कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक-सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त रहते हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में वर्षा का अभाव सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है।

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र का भाग बहुत

अधिक है। इन राज्यों में भूमिगत जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में, कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में जमीन के अंदर से अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गयी है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संखिया की मात्रा में वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मिट्टी में लवणता बढ़ रही है और भूमिगत जल सिंचाई में कमी आ रही है।

जल की उपलब्धता, जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में प्रतिदिन कम होती जा रही है। भारत में उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। केवल जल की उपलब्धता ही नहीं घट रही है बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों, जैसे- सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तब वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में जज्ब हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होते हैं। कभी-कभी प्रदूषक भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी आज अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं।

जल प्रदूषण के निवारण के उपाय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के साथ मिलकर अपने 507 केन्द्रों की सहायता से राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इन केन्द्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि जैव और जीवाणविक संदूषण, नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियों में अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा शामिल है। भूमिगत जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी और विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की ज्यादा मात्रा के कारण होता है।

जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों, जैसे अंत:स्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूमिगत जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल हैं।

वैधानिक व्यवस्थाएं, जैसे- जल अधनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य जल में प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और जन भागीदारी से, कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के विसर्जन से होने वाले प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है।

जल का पुनर्प्रयोग

जल के दुबारा उपयोग के अन्य दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में, पानी का पुनर्शुद्धीकरण एक सीमित मात्रा में किया जा रहा है। फिर भी, पुनर्शुद्धीकरण द्वारा पुन: पूर्तियोग्य जल की उपादेयता व्यापक है।

जल संभर प्रबंधन

जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों, जैसे- अंत:स्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूमिगत जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल हैं। जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों तथा जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देश में बहुत से जल-संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाये गये हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। 'हरियाली' केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल-संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। यह परियोजना वर्तमान में जन सहयोग से संदर्भित ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है।

वर्षा जल संग्रह

वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भंडारों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक मितव्ययी और पारिस्थितिकी के अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को गिरने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है ।

जल प्रबंधन और जल संरक्षण

अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और दिनोंदिन बढ़ती मांग से, सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर और महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता, उसकी अधिक लागत के कारण, नगण्य हो गई है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि जल-संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने होंगे और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त जल प्रदूषण से बचाव के प्रयास अपनाने पर भी बल दिया चाहिए। आज जल-संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्प्रयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ●

बागवानों के दोस्त राजा साहब

सरलता, सहजता, सहयोग, आर्थिक सहायता और सहकारिता की जो भावना हिमाचल के किसानों में देखने को मिलती, वह अपने आप में एक मिसाल है। यह गुण एक दिन उन्हें बागवानी के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा।

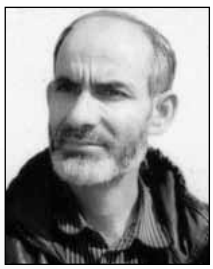

ताज रावत

हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण किसानों का राज्य है जहां के किसान अपनी मेहनत एवं लगन से कृषि कार्यों एवं बागवानी में व्यस्त रहते हैं। विगत तीन दशकों में कृषि एवं बागवानी में बहुत सराहनीय सफलताएं मिली हैं। हिमाचली किसान एवं बागवान संपन्न एवं आत्म निर्भर बने हैं जिससे उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। यहां के किसानों की खेती, बाग-बगीचे एवं नकदी फसलों के कृषि कार्य हमेशा छोटे-मोटे सिंचाई के साधनों एवं मौसमी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। यदि मौसम अच्छा रहा और भरपूर वर्षा हुई तथा दो या तीन बार जमकर बर्फ गिर जाए तो सेब की खेती में चार चांद लग जाते हैं। जिस मौसम में वर्षा नहीं होती है या बर्फ नहीं गिरती है तब किसानों की सालभर की मेहनत बेकार चली जाती है। इसके साथ ही उन्हें दोगुनी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि पर्वतीय भागों में जहां पर सेब के बाग-बगीचे लहलहा रहे हैं लिफ्ट सिंचाई से भी पानी डाला जाए तो किसानों को हर वर्ष दो या तीन गुना फसल प्राप्त होती है और उन्हें हर फसल पर 20 लाख से तीन करोड़ रुपए तक का आर्थिक लाभ होता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में घाटियों में अनाज उगाने वाले किसान अपने सालभर तक का अनाज उगा लेते हैं शेष जो आवश्यकता से अधिक अनाज उगता है उसे बाजार में बेच डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट योजना से हर जगह सिंचाई के साधन हों तो सेबों की घाटियां तीन गुना फसल दे सकती हैं। हिमाचली किसान एवं सेब उत्पादक अपनी लगन, मेहनत एवं अनुभव में सबसे बुद्धिमान एवं जागरूक किसान हैं जो हर रोज अपने बगीचों की रखवाली एवं देखभाल करते हैं। मौसमी वर्षा एवं बर्फ गिरने के लिए किसान इन्तजार करते हैं। कभी-कभी तो जमकर वर्षा होती है तो कभी-कभी मौसम बिना बरसे ही चला जाता है। बर्फ भी कभी-कभी वर्ष में तीन बार गिरती है तो किसी वर्ष एक बार भी नहीं गिरती है। अत: सेब के किसानों के लिए मौसम का रूठ जाना बहुत बड़ी हानि एवं ग्लानि का कारण बन जाता है।

राजा वीरभद्र सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काले में इन सब बातों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और किसानों को सेब की फसल के लिए अधिक से अधिक समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। क्योंकि किसानों को उनकी मेहनत और उपज का ठीक-ठीक मूल्य नहीं मिला तो वह हमेशा दैविक आपदाएं झेलते रहेंगे जिससे उनकी मेहनत का आर्थिक लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। अत: हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों एवं सब्जी उत्पादकों को उनकी उपज का सही-सही मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य मिलने से हिमाचली किसानों का मनोबल बढ़ा है साथ ही उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ी है।

सेब के किसानों को समर्थन मूल्य पाने के लिए कई बार शिमला एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन करना पड़ता था, तब शांताकुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन शिमला में प्रदर्शन के दौरान शांताकुमार ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी जिसमें आठ सेब किसनों की मृत्यु हो गयी थी। इसके बाद सेब के किसानों एवं सेब के व्यापारियों के मन में शांताकुमार के प्रति एक प्रकार की नफरत पैदा हो गयी थी। सेब उत्पादन हिमाचल के किसानों की आर्थिक रीढ़ है और वह अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वह था सेब का समर्थन मूल्य। दूसरे हिमाचली किसानों को आयकर के दायरे में लाने के लिए शांताकुमार सरकार प्रयासरत थी। इससे भी हिमाचली सेब उत्पादक शांताकुमार सरकार से नाराज हो गए और बाद में

यह असंतोष पूरे हिमाचल में फैल गया।

राजा वीरभद्रसिंह क्योंकि स्वयं एक किसान परिवार से हैं। अत: किसानों का दुख दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। हिमाचली किसान मेहनत करता है। वह अपने परिश्रम एवं लगन से अपने बगीचों को संवारता है। वह भी एक प्रकार से कठोर तपस्या करता है कि वर्ष भर में एक बार सेबों की फसल के लिए घनघोर वर्षा हो जाए और जमकर बर्फ गिर जाए, जिससे सेब के फलों के आकार में वृद्धि होती रहे। बर्फ प्रारंभ में जब धीरे-धीरे पिघलती है तो सेब की जड़ों में इसका जल धीरे-धीरे खाद पहुंचाने का काम करता है। तब कहीं जाकर सेब के पेड़ों की वृद्धि होती है और उनमें फूल आते हैं और फल लगते हैं। यदि ओले न पड़ें तो सेब की फसल से दोगुनी आय प्राप्त होती है। कभी-कभी तो पानी बहुत कम बरसता है और बर्फ बहुत कम गिरती है या गिरती ही नहीं है। किसानों की सालभर की जीतोड़ मेहनत बेकार चली जाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दैविक आपदाओं के कारण हुई हानि पर दी जाती है।

जब ओले पड़ते हैं या पाला पड़ने से फसलें

नष्ट हो जाती हैं। भयावह बाढ़ में खेत एवं फसलें बह जाती हैं तब आपदा राहत कार्य किए जाते हैं। इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार कुछ आर्थिक सहायता जारी करती है। लेकिन केन्द्र सरकारों को प्रदेश सरकार के लिए प्राकृतिक आपदाओं की क्षति-पूर्ति के लिए व्यापक आर्थिक पैकेज जारी करना चाहिए। कुछ भी हो किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए राजा वीरभद्रसिंह ने अपने छह बार के मुख्यमंत्रित्वकाल में व्यापक सुधार किए। उन्होंने किसानों के सुख-दुख में शमिल होकर उनका मनोबल हमेशा ऊंचा बनाए रखा। समय-समय पर उन्हें आपातकालीन आपदा राहत आर्थिक सहायता भी जारी की गयी। वह किसानों के परममित्र बनकर हमेशा उनके अधिकारों की लड़ाई का समर्थन करते रहे। यही कारण है कि वह हिमाचली किसानों एवं सेब के बागवानों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं

हिमाचल के किसानों को वह हमेशा उचित खाद एवं बीज का उपयोगकर अधिक से अधिक उन्नत ढंग से खेती करने के तरीकों का उपयोग करने का संदेश कई बार दे चुके हैं। उनके अनुसार हिमाचली किसानों को सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनने का पूरा अधिकार है। वह जीतोड़ मेहनत करते हैं। सालभर अपने बाग-बगीचों में काम करते हैं, उन्हें अवश्य अपनी फसल का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जो कि उनका अधिकार है।

हिमाचली किसान आत्म-सम्मान का जीवन जीना जानते हैं। इसके लिए वह हर स्तर पर उन्नत कृषि यंत्र, खाद एवं बीजों का उपयोग कर अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वह मौसम की बेरूखी के कारण दोहरी मार झेलते हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हिमाचली किसानों ने अपने आत्म-सम्मान, आत्म गौरव की रक्षा की है और देशभर में अन्य राज्यों की अपेक्षा आत्म निर्भरता एवं संपन्नता का स्तर प्राप्त किया है। अपनी मेहनत एवं लगन से उन्होंने हिमाचल सेब उत्पादन के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अत: उन्हें अधिक सम्मानजनक एवं साधन सम्पन्न जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यह उन्होंने समय-समय पर कर दिखाया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हिमाचली किसान एवं सेब उत्पादक आने वाले समय में अपनी अधिक ऊर्जा से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे जो उन्हें सेब उत्पादन के सुनहरे इतिहास की ओर ले जाएगा।

हिमाचली किसान अब आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं। वह सिंचाई साधनों का निर्माण करना, उन्नत खाद एवं बीज का उपयोग करना, खेती के लिए आधुनिक तौर पर तैयार किए गए उपकरणों का उपयोग करना सीख गया है। उसके अन्दर स्वावलम्बी जागृति एवं स्वनिर्माण के लिए एक चेतना है जो उसे वैज्ञानिक सूझबूझ एवं योग्यता का पाठ पढ़ा रही है। परम्परागत तरीके से की गयी बागवानी से कम फल प्राप्त होते हैं जबकि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति एवं स्वनिर्माण से अधिक से अधिक फलोत्पादन किया जा सकता है।

अपने बगीचों में वर्षभर कार्य करते हुए एवं खाद बीज का उपयोग कर छिड़काव आदि के अनुभव ने हिमाचली कृषकों एवं फलोत्पादकों को पूर्ण कृषि विज्ञानी एवं वानिकी विशेषज्ञ बना दिया है। वह फल के वृक्षों एवं बगीचों की ऐसी देखभाल करते हैं जैसे मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतने वर्षो के अनुभव ने उनकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता तथा अनुभव को अधिक विकसित किया है जिससे उन्हें फसल के कम या ज्यादा होने का पहले से ही अनुमान हो जाता है। मौसम का मिजाज भांप लेना, कम ज्यादा वर्षा होना या बर्फ गिरने का अनुमान उन्हें पहले से हो जाता है। अत: वह छिटपुट सिंचाई के प्रबंध स्थानीय जल स्रोतों से पहले से ही करने लगते हैं। एक परिपक्व किसान अपने आप में एक अनुभवी वैज्ञानिक एवं मौसम विज्ञानी बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है।' इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचली किसान विश्व में सर्वाधिक बड़ा, रसीला एवं मीठा सेब उगाते हैं। क्योंकि यह सेब हिमाचल प्रदेश के पवित्र एवं प्राकृतिक भागों में उगाया जाता है। अत: इसमें कोई विषैला तत्व नहीं पाया जाता है। यहां पर उगाए जाने वाले सभी सेब लवणों एवं विटामिनों से भरपूर होते हैं जिनकी मांग अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया तक है। आज भी हिमाचली सेब की भारत एवं विदेश में भारी मांग है। इसका पता भारतीय मंडियों एवं इंटरनेट मार्केट सर्च से चलता है।

क्योंकि विश्व एक स्वतंत्र बाजार बन गया है अत: यहां भारत में कुछ मात्रा में अमेरिका, रूस, चीन, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया का सेब भी आता है लेकिन इस सब के बावजूद भी वहां के सेब यहां पर अपना बाजार नहीं बना पाए हैं।

हिमाचली सेबों का अपना व्यापक एवं विशाल बाजार है। यह एक शांतिपूर्ण राज्य है जिसका पूरा ध्यान अपने कृषि कार्यों, फलोत्पादन एवं नकदी सब्जी उत्पादन पर है। हिमाचल प्रदेश ही देश में एक ऐसा राज्य है जिसने बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सम्पूर्ण देश में सब्जियों का विशुद्ध वितरण किया। यह सब्जियां ठेठ पर्वतीय होती हैं जो आहार एवं स्वस्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी हैं।

यों तो सेब कश्मीर एवं देश के कुछ अन्य पर्वतीय भागों में भी उगाए जाते हैं लेकिन विगत तीन दशकों में हिमाचली सेब उत्पादकों ने अपनी लगन एवं मेहनत से सेबों का रिकार्ड उत्पादन कर हिमाचल प्रदेश को 'भारत का फलों का टोकरा' में बदल दिया है। अत: हिमाचली कृषकों, फलोत्पादकों, नकदी सब्जी उत्पादकों एवं बेमौसमी फल एवं सब्जी उत्पादकों का मनोबल हमेशा बना रहना चाहिए। उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्नत खाद एवं बीज और आधुनिक तकनीकों द्वारा उन्होंने अपने आपको विश्व में सबसे योग्य एवं सिद्धहस्त किसान एवं फलोत्पादक के रूप में लोकप्रिय बना दिया है। आज हिमाचली किसान अन्य राज्यों के किसानों के लिए अन्योन्य प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। भारत में कृषि, बागवानी, उद्योग एवं पर्यटन व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं एवं देश में अर्थव्यवस्था को हमेशा पटरी पर बनाए रखते हैं। अत: कृषि एवं पर्यटन की अन्य उद्योगों की तरह रक्षा की जानी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैज्ञानिक युग में भी हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण पर्वतीय प्रदेश में घाटियों में बसे अनाज उगाने वाले छोटे किसानों, का ऊंचाइयों पर फल उगाने वाले बागवानों का तथा नदियों के किनारे सब्जी की खेती करने वाले किसानों का मनोबल स्वस्थ एवं उत्थान पर है। इसका एक कारण यह भी है कि अच्छी फसल होने के बाद वह अपने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। स्वच्छता एवं पवित्रता का जीवन जीते हैं। वह हर काम ईश्वर के नाम पर करते हैं। सन्तुष्टि एवं आत्म-गौरव के साथ वह अपना जीवन जीते हैं।

हिमाचली सेब उत्पादक, बेमौसमी सब्जी उत्पादक एवं अनाज उगाने वाले किसान ईमानदारी, सुन्दरता एवं निश्छल जीवन जीते हैं। वह अधिक परिश्रम करते हैं। सुन्दर फसलें उगाते हैं। उनसे उन्हें अच्छी आय होती है। वह आत्म-सम्मान एवं आत्म-गौरव की रक्षा करते हैं। सहयोगी सेब उत्पादकों एवं किसानों के बीच आपसी मेलजोल एवं सहयोगी भावना से कार्य होता है जो सुख-दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर हिमाचली किसानों एवं फलोत्पादकों में ईमानदारी, सादगी एवं कर्मठता अभी भी जीवित है। यदि इस प्रकार का सहयोग, आर्थिक सहायता, सहकारी सेवा भावना आदि का मेलजोल बना रहा तो आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी, स्थानीय उद्योगों एवं पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा। ●

बहुत आसान खेती है मण्डुवा की

■ गणेश चन्द्र पाण्डे

अपनी पौष्टिकता और मधुमेह के रोगियों के लिये उत्तम आहार के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो चले मण्डुवा को भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के नजरिये से भी देखा जाना उचित होगा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के मामले में हमारे फिसड्डी मुल्क में यह अनाज न सिर्फ पौष्टिक आहार का विकल्प बन सकता है बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण मधुमेह जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिये भी एक अच्छा आहार हो सकता है। साथ ही इसके शेष भाग तथा भूसी का पशुओं के लिये गुणवत्ता पूर्ण चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जरुरत है तो सिर्फ इसकी वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करने और इसकी खेती को प्रोत्साहन दिये जाने की। यह खरीफ की फसल है और प्रतिकूल मौसम में भी यह उपज देने में समर्थ है। इसका वानस्पतिक नाम इल्यूजिन कोरा काना है। इसे रागी भी कहते हैं। संस्कृत में इसे मथुलिका, महकम्, नृत्य कुण्डलम कहा गया हैं।

मण्डुवा उत्तराखण्ड और हिमाचल तथा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों नेपाल और भूटान में पैदा होने वाला एक अति पौष्टिक अनाज है। यह हमारे देश के मध्य हिमालयी भू-भाग में पारंपरिक रूप से खाद्यान्न के तौर पर काफी प्राचीन समय से प्रयोग किया जाता है। पौष्टिकता के मामले में यह प्रचलित अनाजों से कहीं आगे है। उत्तराखण्ड के पारंपरिक खाद्यान्न के रूप में प्रचलित इस अनाज में जहां प्रोटीन की मात्रा धान से ज्यादा पायी जाती है, वहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा धान से 35 गुना तथा गेहूं से आठ गुना ज्यादा आंकी गयी है।

इस अनाज को अभी हाल के वर्षों तक बहुत सस्ता माना जाता था। अनेक अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवारों में तो इसे भोजन के तौर पर प्रयुक्त ही नही किया जाता था। ऐसे परिवार इसे अपने पालतू पशुओं को सानी-पानी के तौर पर खिलाते थे। परंतु आज यह अनाज मध्य हिमालयी क्षेत्र में पैदा होने वाले सभी अनाजों में सबसे ज्यादा महंगा है। इसके बने स्वाष्टि बिस्कुट बड़े चाव से खाये जाते हैं। इसके अंकुरित बीजों से माल्ट भी बनाया जाता है। रोटी के रूप में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है, बल्कि इसको गेहूं की रोटी में भरवां रोटी के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। मंडुवे की इस भरवां रोटी को उत्तराखण्ड की स्थानीय भाषाओं-बोलियों में लोहटु, लेसु आदि नामों से जाना जाता है। ठण्ड के मौसम में और बरसात आदि में भीग जाने पर तथा प्रसूता स्त्रियों के लिये इसके आटे का हलवा बनाया जाता है। इस खाद्यान्न के गुणों पर किये गये शोधों से यह भी निष्कर्ष निकाले गये हैं कि यह मधुमेह के रोगियों के लिये उत्तम आहार है। इसकी पौष्टिकता तथा अन्य प्रकार की उपादेयताओं और गुणवत्ता पर शोध चल रहे हैं।

मण्डुवा की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह विपरीत जलवायविक परिस्थितियों को बर्दाश्त करने की अभूतपूर्व सामर्थ्य रखता है। मण्डुवा की खेती मुख्यत: दाना प्राप्त करने के लिये होती है, परंतु मध्य हिमालयी क्षेत्र में इसके पौधे को हरे चारे के रूप में और सूखने पर सूखे चारे के रूप में पशुओं के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसके चारे की तासीर गर्म होती है अत: इसे गाभिन पशुओं को चारे के रूप में कम मात्रा में दिया जाता है। मण्डुवे की भूसी का इस्तेमाल भी सानी-पानी के तौरपर पशुओं के लिये काफी पौष्टिक माना जाता है। पुराने जमाने में इसकी भूसी का इस्तेमाल सूती और ऊनी कपड़ों को धोने में भी किया जाता था। कपड़े धोने की यह पारंपरिक विधि हालांकि अब लगभग लुप्त हो चुकी है। उत्तराखण्ड सहित मध्य हिमालयी क्षेत्र के अन्य भू-भागों में पैदा होने वाले मण्डुवे की गुणवतत्ता बेहतर होने के चलते इसकी देश-विदेश में काफी मांग है।

पर्वतीय क्षेत्रों में मण्डुवे की औसत उत्पादकता 14.5 कुंतल प्रति हेक्टेअर है केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और सहायता कार्यक्रमों पर अमल करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के कृषि विभाग ने खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत् मंडुवा की उत्पादकता दर का लक्ष्य बढ़ाकर लगभग 15.16 कुंतल प्रति हेक्टेअर निर्धारित किया है। मंडुवे की प्रति हेक्टेअर उपज बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि इससे संबंधित वैज्ञानिक कृषिगत क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाये।

जलवायु और भूमि

मंडुवा की अच्छी पैदावार के लिये गर्म तथा नम जलवायु सबसे बेहतर मानी जाती है। उन सभी क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा दर 500 से 900 मिलीमीटर के बीच रहती है, वहां मण्डुवा की अच्छी खेती की जा सकती है। समुद्री सतह से 2200 मीटर तक की ऊंचाई वाले भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी अच्छी फसल प्राप्त

करने के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाली जमीन अच्छी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि पथरीली, कंकड़युक्त और ढलान वाली होती है। खेत भी सीढ़ीनुमा और छोटे होते हैं। इन क्षेत्रों में अन्य फसलों की बजाय मंडुवा की उपज अच्छी और ज्यादा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। गहरी और मध्यम उपजाऊ मिट्टी में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है।

बुआई का समय और विधि

पहाड़ी क्षेत्रों में मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े तक मंडुवे की बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसकी बुआई हल्की गहरी कूंणों में पंक्तियों में भी की जा सकती है। पंक्तियों की एक-दूसरे से औसत दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखने पर इसके बीज के जमने की दर अच्छी रहती है। छोटे और ऊसर मिट्टी वाले खेतों में इसे छिड़काव विधि से बोना उपयुक्त रहता है। इस फसल की विपरीत परिस्थितियों में भी उपज दे सकने की सामर्थ्य का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक जुताई कर बोने से भी इसकी पैदावार पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिये बरसात के बाद एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद दूसरी या तीसरी जुताई देशी हल से अथवा हैरो से करनी चाहिये। इसको खेत जोतने के बाद बोया जाता है और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है।

आठ से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेअर पर्याप्त होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में छिड़काव विधि से लगभग आधा किलो बीज प्रतिनाली बोने के लिये पर्याप्त माना जाता है। यदि बीज घना बोया जाय तो पौधे काफी कमजोर होते हैं। कमजोर पौधों को गुड़ाई के दौरान खरपतवार के साथ निकाल दिया जाता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसके बीज को उपचारित करके बोने का प्रचलन नहीं है। अच्छी पैदावार लेने के लिये मण्डुवा के बीजों को थीरम या बाविस्टिन नामक रसायन की 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के लिये प्रयोग करना चाहिये। उपचारित करने के लिये गोमूत्र, गोबर और नीम की पत्तियों से बने जैविक उपचारक का भी प्रयोग किया जा सकता है।

मण्डुवा की उन्नतिशील प्रजातियां

इस अनाज की अनेक उन्नतिशील प्रजातियां खोजी गयी हैं और विकसित की गयी हैं। इनका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई के हिसाब से किया जाता है। कम तथा मध्यम ऊंचाई वाले भागों में वीएल मंडुवा 149, वीएल मण्डुवा 324, तथा वीएल मण्डुवा 315 अच्छी पैदावार देता है। इनकी फसल 105 से 115 दिन में तैयार हो जाती है।

मण्डुवा की फसल प्राय: खरीफ की फसल है और यह बरसात के मौसम में ली जाती है। अत: इसके लिये सिंचाई की खास आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु सूखा पड़ने की स्थिति में इसे दो या तीन सिंचाई दे दी जाएं तो भी काफी हैं।

जब कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वीएल मण्डुवा 204, पंत मण्डुवा-3 और वीएल मण्डुवा 146 ज्यादा बेहतर पैदावार देते हैं। इनकी फसल 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है।

खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई

बीज की बुआई के 20 से 25 दिनों के अंदर फसल की पहली निराई-गुड़ाई कर देनी चाहिये। इसकी निराई-गुड़ाई के लिये काफी सिद्धहात्त काश्तकार की जरूरत होती है। दो या तीन निराई-गुड़ाई पर्याप्त होती हैं। जो किसान खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहते हों वह खरपतवारनाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिये मण्डुवा की बुआई के 20 से 30 दिनों के भीतर 4-डी सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत की 0.6 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेअर (12 ग्राम 20 लीटर पानी में प्रति नाली की दर से) के हिसाब से छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है।

मण्डुवा के लिये गोबर अथवा कम्पोस्ट की खाद सबसे अच्छी मानी जाती है। यह खाद 15 टन प्रति हेक्टेअर या पहाड़ी क्षेत्रों में 3 कुंतल प्रतिनाली की दर से प्रयुक्त की जा सकती है। और केंचुए की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेअर अथवा 1.5 से 2 कुंतल प्रतिनाली की दर से प्रयोग कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। यदि रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हों तो बेहतर होगा कि पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लिया जाय। 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-40 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेअर, पहाड़ी क्षेत्रों में 800 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फॉस्फोरस तथा पोटाश प्रतिनाली की दर से प्रयोग करना बेहतर होता है। इसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जुताई के साथ खेत में मिला देनी चाहिये। नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौध जमने के 20 से 25 दिनों के भीतर प्रथम निराई-गुड़ाई के शीघ्र बाद नमीयुक्त खेत में प्रयुक्त करनी चाहिये।

मण्डुवा की फसल प्राय: खरीफ की फसल है और यह बरसात के मौसम में ली जाती है। अत: इसके लिये सिंचाई की खास आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु सूखा पड़ने की स्थिति में इसे दो या तीन सिंचाई दे दी जाएं तो काफी हैं। इसकी सिंचाई के लिये बहाव विधि की अपेक्षा छिड़काव विधि की सिंचाई बेहतर मानी जाती है।

बीमारियां तथा कीटनाशकों पर नियंत्रण

मण्डुवा पर झोंका तथा झुलसा रोग का खासा प्रभाव देखा गया है। यह रोग इसकी पत्तियों पर लगते हैं झोंका रोग के प्रकोप से पत्तियों, पर्णच्छेद, पौधों की गांठों, पुष्पक्रम और कभी-कभी इसके दानों के छिलकों पर भी पड़ता है। झोंका रोग की प्रारंभिक स्थिति में पत्तियों में नाक या आंख के आकार के पानी में भीगे हुए से धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे बाद में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। इसके फलस्वरुप बाद में तने की गर्दन और अनाज की बालियां टूटकर गिर जाती हैं।

झुलसा रोग में मण्डुवा की पत्तियों में शुरुआत में छोटे-छोटे बिन्दी की तरह के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो धीरे-धीरे बढ़कर आपस में मिल जाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। बाद में इस रोग का प्रकोप बालियों और दानों पर भी होता है। इसके कारण उपज में काफी कमी आ जाती है। जबकि झोंका रोग के नियंत्रण के लिये बुआई से पहले बीजों को थीरम या कॉर्बेन्डाजिम/ बाविस्टिन की 3 ग्राम मात्रा प्रतिकिलो बीज की दर से उपचारित कर लेनी चाहिये।

उत्तराखंड की यह पारंपरिक और प्रमुख खरीफ की फसल आज अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रही है। क्योंकि उत्तराखंड में जंगली मवेशियों, सूअरों, बंदरों तथा आवारा पशुओं से जहां इसको नुकसान पहुंचाया जाता है वहीं पलायन के कारण उत्तराखंड के अनेक इलाकों में वह भूमि बंजर हो चुकी है जहां इसकी अच्छी पैदावार की जाती थी। परंतु राज्य और केंद्र सरकार के पास पौष्टिकता के मामले में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके इस अनाज की काश्त को पुनर्स्थापित करने के लिये कोई योजना ही उपलब्ध नहीं है। मात्र कागजी खानापूर्ति और प्रयोगशाला तक सीमित भारी-भरकम शोधों से इस अनाज की काश्त को पुनर्स्थापित किया जाना संभव नहीं है। इसकी अच्छी पैदावार के लिये उन क्षेत्रों का आबाद होना जरूरी है, जहां कि यह अनाज पैदा होता आया है। ●

मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक अभिनव प्रयास

■ कृषि चौपाल

देश के सभी किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए चालू वर्ष में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अधीन राज्यों के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित होने की संभावना है ताकि मृदा स्वास्थ्य कार्डों को ऑनलाइन जारी किया जा सके और उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में किसानों को सुझाव दिए जा सकें। मिट्टी की जांच के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक एसएमएस प्रणाली भी तैयार की जाएगी। योजना के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

1. देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके।
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मध्य संपर्कों का निर्माण करते हुए कृषि विज्ञान के छात्रों को योजना में शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलाप को सशक्त बनाना।
3. राज्यों में मृदा नमूनों के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा उर्वरता संबंधी बाधाओं का पता लगाना और विश्लेषण करना तथा विभिन्न जिलों में तहसील स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार करना।
4. पोषक तत्वों का प्रभावशाली इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करना और उसको बढ़ावा देना।
5. पोषक प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्यस्तरीय कर्मचारियों के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों में क्षमता निर्माण करना।

आगामी तीन वर्षों में संभावित तौर पर जारी होने वाले मृदा स्वास्थ्य कार्डों के निर्माण का विवरण यहां तालिका में दिया गया है।

क्रम	राज्य	पहले वर्ष में	दूसरे वर्ष में	तीसरे वर्ष में	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1727317	3028344	2995128	7750789
2	अरुणाचल प्रदेश	24773	43433	42953	111159
3	असम	616535	1080911	1069055	2766501
4	बिहार	3669761	6433848	6363276	16466885
5	छत्तीसगढ़	849139	1488708	1472380	3810227
6	गोवा	13053	22889	22637	58579
7	गुजरात	1073904	1882777	1862125	4818806
8	हरियाणा	366560	642657	635607	1644824
9	हिमाचल प्रदेश	217799	381845	377657	977301
10	जम्मू-कश्मीर	328502	575935	569616	1474053
11	झारखंड	613976	1076426	1064618	2755020
12	कर्नाटक	1775161	3112216	3078079	7965456
13	केरला	1548189	2714299	2684527	6947015
14	मध्य प्रदेश	2010914	3525548	3486875	9023337
15	महाराष्ट्र	3104859	5443451	5383739	13932049
16	मणिपुर	34138	9849	59194	153181
17	मेघालय	47481	83246	82333	213060
18	मिजोरम	20825	36508	36112	93445
19	नगालैंड	40305	70659	69885	180849
20	ओडिशा	1057879	1854678	1834334	4746891
21	पंजाब	238561	418246	413656	1070463
22	राजस्थान	1561259	2737205	2707181	7005645
23	सिक्किम	16984	29775	29445	76204
24	तमिलनाडु	1840034	3225958	3190575	8256567
25	तेलंगाना	1258807	2206942	2182734	5648483
26	त्रिपुरा	125027	219200	216794	561021
27	उत्तर प्रदेश	5196916	9111255	9011319	23319490
28	उत्तराखंड	206850	362655	358677	928182
29	पश्चिम बंगाल	1614492	2830530	2799483	7244505
	कुल	**31200000**	**54699993**	**54099994**	**139999987**

एनपीसीआईएल का सामाजिक दायित्वों के क्षेत्र में सराहनीय योगदान

एनपीसीआईएल (न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। एनपीसीआईएल पर भारत में परमाणु ऊर्जा रियक्टरों के डिजाइन, निर्माण, शुरुआत और परिचालन का दायित्व है। एक जिम्मेदार निगमित क्षेत्र का निकाय होने के नाते एनपीसीआईएल अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के साथ ही टिकाऊ विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी लागू करता है।

एनपीसीआईएल अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग है और इसने एक जिम्मेदार निगमित निकाय होने के नाते समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। अपनी इसी सामाजिक दायित्व नीति के तहत एनपीसीआईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। कंपनी इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। एनपीसीआईएल परमाणु संयंत्रों के इर्द-गिर्द के पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भी काफी सजग है।

यह परमाणु परियोजनाओं के आसपास के गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने में भी मदद कर रहा है। इन इलाकों में एनपीसीआईएल का परिचालन स्थानीय आबादी के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एनपीसीआईएल इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी योगदान कर रहा है।

एनपीसीआईएल स्थानीय आबादी के बीच परमाणु संयंत्रों की स्थापना से जुड़े भ्रम और मिथकों को दूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है। जिसके तहत टीवी विज्ञापनों, रेडियो जिंगल्स, नुक्कड़ नाटकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कॉमिक पुस्तकों के जरिए लोगों को परमाणु संयंत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है और इस संबंध में उनकी भ्रामक धारणाओं को दूर किया जाता है। जनजागरूकता से जुड़ी सामग्रियों का प्रकाशन क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता है। यह जागरूकता अभियान उन इलाकों में संचालित किया जाता है, जहां परमाणु संयंत्र स्थित होते हैं, जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (केकेएनपीपी)।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एनपीसीआईएल अपने कार्यों से काफी सराहनीय योगदान दे रहा है। जिसके तहत कंपनी परमाणु संयंत्रों और परियोजनाओं के इर्दगिर्द बड़ी तादाद में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती है। कंपनी के तारापुर परमाणु संयंत्र में आपातकालीन चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपकरण भी मुहैया कराये गए हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है तो एनपीसीआईएल स्कूलों के निर्माण और स्कूली बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या कराकर राष्ट्र के शिक्षा अभियान में सहयोग कर रहा है।

किसी भी विकास प्रक्रिया में बुनियादी ढांचा एक अहम तत्व है। एनपीसीआईएल सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम, सामुदायिक भवन, प्याऊ आदि का निर्माण कर इस दिशा में योगदान दे रहा है। कंपनी ने समग्र विकास के लिए कुछ गांवों को गोद भी लिया है। जहां तक पर्यावरण सुरक्षा का सवाल है तो एनपीसीआईएल इस दिशा में भी पहल कर रहा है। एनपीसीआईएल ने कुछ खास परियोजनाएं पूरी की हैं। ●

कृषि चौपाल पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

कृपया उचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं और अन्य विवरण साफ-साफ अक्षरों में सही-सही भरें।

☐ वार्षिक सदस्यता - 180/- ☐ द्विवार्षिक सदस्यता - 350/- ☐ पंचवार्षिक सदस्यता - 750/-

☐ आजीवन सदस्यता - 5100/- (डाक खर्च अलग से देय होगा)

मैं अपना चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... तिथि ..... / ..... / .....

बैंक व ब्रांच ..... पर आदेशित, रुपये .....

मात्र का (**'कृषि चौपाल'**, दिल्ली के पक्ष में) संलग्न कर रहा हूं।

मेरा विवरण इस प्रकार है:-

नाम .....

पता .....

..... पिन .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

कृपया ध्यान दें: सदस्यता-फॉर्म के साथ चेक या डिमांड ड्राफ्ट 'कृषि चौपाल' के नाम से देय होगा। चेक या ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता व फोन नंबर अवश्य लिखें। डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर- संपादक 'कृषि चौपाल' सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 के पते पर भेंजे। फोन: +91-9910406059, ईमेल: E-mail: krishichaupal@gmail.com

बर्बादी के कगार पर उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था

विक्रम सिंह मावड़ी

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत की भांति कृषि पर आधारित रही है परन्तु इसमें पशुपालन और फलोत्पादन तथा वनोपजों का भी खासा योगदान रहा है। पिछली सदी में सत्तर के दशक के आखिरी वर्षों में यहां शहरीकरण ने जोर पकड़ा और साथ ही पलायन की प्रवृति में भी बढ़ोत्तरी हुई। आजीविका हेतु ग्रामीण इलाकों से पलायन हालांकि सत्तर के दशक से पहले भी होता था परन्तु 1977 के बाद धीरे-धीरे पलायन ने जो रफ्तार पकड़ी वह राज्य गठन के बाद आज भी थमने का नाम नहीं ले रही है।

आज के संदर्भों में जब हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान तथा पशुपालन और फलोत्पादन एवं विभिन्न वनोपजों से इसके संबंधों पर विचार करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज यह मजबूत अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के कगार पर है। इस मजबूत अर्थव्यवस्था की यह दुर्दशा कैसे हुई यह सवाल विचारणीय है। इस सवाल का जवाब तलाशने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में गांवों का विशेष योगदान रहा है। आज उत्तराखंड के ये गांव वीरानों की ओर अग्रसर हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013 तक उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तथा राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 30.23 प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास कर रहा है, और 69.77 प्रतिशत लोग गांवों में रह रहे थे। इसी प्रकार 2001 से 2011 के मध्य शहरी जनसंख्या जहां 30.23 फीसदी की दर से बढ़ी है वहीं इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में यह वृद्धिदर 69.77 फीसदी रही।

आइए अब एक नजर उत्तराखंड का नासूर बन चुकी पलायन की प्रवृति पर भी डालते चलें। सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र निदेशालय उत्तराखंड से कुछ समय पूर्व जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से प्रति 1000 व्यक्ति पर पयालयन की दर लगभग 863.648 है जबकि शहरी क्षेत्र में यही दर मात्र 363.61 प्रति हजार आंकी गयी है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण इलाकों से पलायन चिंताजनक स्तर तक बढ़ा है। आज सिर्फ यह पलायन राज्य से बाहर की ओर ही नहीं बल्कि गांवों से उत्तराखंड के अंदर मौजूद शहरों की ओर भी हो रहा है। दशकों पूर्व से जारी पलायन की यह प्रवृत्ति बताती है कि हमारी सरकारों ने उत्तराखंड के विकास में खास भूमिका रखने वाले और आज भी इस भूमिका को अदा कर सकने में समर्थ, हमारे गांवों के विकास को हमेशा हाशिये पर ही रखा। जाहिर है कि यह एक खास वजह कही जा सकती है, जो पलायन के लिए जिम्मेवार है। पलायन के बढ़ने से, कृषि, पशुपालन और फलोत्पादन तथा साग-सब्जी का उत्पादन दुष्प्रभावित हुआ। जिसका बुरा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसके साथ ही पहाड़ों में जोतों का आकार भी काफी छोटा होता है तथा एक ही काश्तकार के खेत दूर-दूर छिटके हुए होते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए इन छिटके हुए जोतों को चकबंदी द्वारा एक लाभकारी रूप दिया जा सकता है। परन्तु चकबंदी के दौरान चुनौती यह भी है कि पहाड़ी क्षेत्रों की जमीन एक ही किस्म की नहीं होती है। कहीं पर अधिक कंकरीली-पथरीली तो कहीं पर अच्छी दोमट और कहीं पर अधिक दलदली होती है। सरकार किसानों को सामूहिक खेती के लिये प्रेरित कर इस चुनौती से पार पा सकती है। सामूहिक खेती को व्यावसायिक और लाभदायक स्वरूप प्रदान करने के लिये नये सिरे से कृषि सहकारी समितियों का निर्माण किया जाना चाहिये।

खेती-बाड़ी के तौर तरीकों को भी तब्दील करने की आवश्यकता है। पारंपरिक तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के समन्वय से पहाड़ों की भौगोलिकता और जलवायविक परिस्थितियों के अनुरूप खेती-बाड़ी की तकनीक विकसित की जा सकती है। पारंपरिक फसलों जैसे- मण्डुवा, झुंगरा, कौणी, जौ, राजमा, सोयाबीन, हल्दी, अदरक, आलू, तंबाकू, चाय आदि की उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। साथ ही इन फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का उपयोग कर ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। इसी प्रकार मशरूम, बेडू, तिमिल (अंजीर), काफल, बुरांश आदि प्राकृतिक फलों, की व्यावसायिक पैमाने पर बागवानी की जा सकती है। जड़ी-बूटियों के उत्पादन के लिये तो उत्तराखंड की भूमि और आबोहवा सर्वाधिक मुफीद मानी जाती रही है। माल्टा, संतरा, सेब, नाशपाती, आम, लीची, पपीता, जामुन, नींबू, बेल आदि फलों का उत्पादन जमीनों के उस भाग पर किया जा सकता है, जहां कि फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। पहाड़ों पर ब्रोकली, बांकुल, मटर, गहत, रैंस (बीन्स), छिमी (एक

प्रकार की वनों में पैदा होने वाली बीन्स) आदि की व्यावसायिक खेती भी की जा सकती है। तिलहनों में तिल, राई, सरसों, अलसी, मेथी आदि का भी उत्पादन पहाड़ों के काश्तयोग्य खेतों में व्यावसायिक पैमाने पर सरकार के प्रोत्साहन से किया जा सकता है। उत्तराखंड में पैदा होने वाले खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों और फलों पर आधारित प्रसंस्करित उत्पादों की औद्योगिक इकाइयां भी उत्पादन क्षेत्रों के नजदीक ही स्थापित की जा सकती हैं। इस प्रक्रिया से एक ओर जहां काश्तकारों को ढुलान की समस्या से निजात मिलेगी वहीं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले विभिन्न खाद्यान्नों से आज बहुत स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक बिस्कुट बनाये जा रहे हैं। जूस, जैम, अचार के उद्योग स्थापित करने के लिये उत्तराखंड की जलवायु बहुत अनुकूल है।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज से लगभग तीन दशक पूर्व तक जहां प्रति व्यक्ति पर एक दुधारू पशु का अनुपात था, वहीं आज पशुपालन व्यवसाय लगभग विलुप्ति के कगार पर है। आज यहां आवारा पशुओं से बचे-खुचे काश्तकारों और गांव के लोगों को अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुपालन को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन में जहां राज्य को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है वहीं दुग्ध और दुग्ध से बनने वाले उत्पादों को आजीविका से जोड़ा जा सकता है। उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं को इस हेतु सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसी प्रकार बकरी व भेड़ पालन तथा मुर्गीपालन और मौनपालन को एक संगठित व्यवसाय का स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिये। भेड़ पालन तथा शशक (अंगोरा) पालन को अपनाकर ऊन का उत्पादन तथा इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे- दन, कालीन, शॉल, गर्म चादरें और ऊनी कपड़े आदि का व्यवसाय भी स्थापित किया जा सकता है। नदी घाटी वाले क्षेत्रों में और जहां पानी की अच्छी सुविधा हो वहां मत्स्यपालन का व्यवसाय भी अपनाया जा सकता है।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को उत्तराखण्ड की भौगोलिकताओं और पारिस्थितिकी के अनुसार योजना बनाकर ही मजबूत करा जा सकता है। दुर्गाग्य यह है कि उत्तराखण्ड के लिये नीति निर्माण, वातानुकूलित भवनों में बैठकर मैदानी क्षेत्रों में किया जाता रहा है और आज भी यह परम्परा जारी है। जब तक पहाड़ों में बैठकर ही, पहाड़ों का आंकलन कर विकास योजनाएं निर्मित नहीं होंगी तब तक उत्तराखण्ड का विकास सिर्फ घोषणाओं और एक नारे तक सीमित होकर रह जायेगा। ●

झरते हुए शब्द

पेड़ के नीचे रुक कर सुस्ता लिया, फिर कापी निकाली तो मैं एक लम्बी सांस सुन कर चौंका। पर आसपास कोई नहीं था। मैंने सोचा, भ्रम हुआ होगा, हवा होगी। फिर लिखने की ओर दत्तचित हुआ।

लम्बी सांस फिर सुनाई दी।

पेड़ ने लम्बी सांस ली थी।

मैंने कहा, 'क्यों पेड़, क्या हुआ?'

पेड़ ने कहा, 'तुम कवि हो न?'

मैंने कहा, 'हूं भी तो क्या? वन-प्रकृति का भक्त हूं, पेड़ों से प्रेम है मुझे-'।

पेड़ टोक कर बोला, 'होगा, होगा। तुम पेड़ पर कविता लिखो, या पेड़ को बचाने के आंदोलन के लिए ही कविता लिखो, छपेगी तो पेड़ की लुगदी पर ही। जब-जब कोई लिखता है, मैं लम्बी सांस लेता हूं: यह पेड़ काटने का एक और निमित बना...'

पेड़ ने फिर लम्बी सांस ली।

पेड़ के साथ कविता का एक यह भी रिश्ता है। इतना साफ नहीं दिखा था न?

कम लिखो। जब तक अनिवार्य न हो मत लिखो। जितना बनाना-संवारना है, मानस में ही कर के तब रूप को कागज पर उतारो-जितना घना, छोटा, गठीला बना कर सम्भव हो...

और हमेशा पहले पेड़ को प्रमाण करके, क्योंकि वही तुम्हारी बलि है...

-अज्ञेय

जिम्मेवारी समाप्त

पति-पत्नी दोनों खुश। दोनों नौकरी करते। अच्छी आमदनी। मौजमस्ती। बच्चे को आया के जिम्मे लगा देते। वह दिन भर बच्चे की देखभाल करती। बच्चा बड़ा हुआ। हॉस्टल में डाल दिया। पैसा भेज देते। जिम्मेवारी समाप्त।

बच्चा सयाना हुआ। नौकरी लगी। शादी हुई। माता-पिता को नौकरी से अवकाश मिला। बूढ़े हुए। लड़के एवं बहूं ने मिलकर माता-पिता की देख रेख के लिए आया रख दी। कुछ दिनों बाद माता-पिता बीमार रहने लगे। लड़के ने उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दिया। बस समय से पैसा भेज देते और जिम्मेवारी समाप्त।

-अतुल मोहन प्रसाद

बालमन

एक लड़का है छोटा-मोटा, थुलथुल। तेरह-चौदह वर्ष का है वह। मिठाई की एक दुकान पर साफ-सफाई का काम करता है। उसे चिढ़ाने में लड़कों को बड़ा आनंद आता है। बच्चे जब उधर से गुजरते हैं तो उसे चिढ़ाकर हंसते-खिलखिलाते भाग जाते हैं और वह हाथ में एक कंकड़ लिए दूर तक उन्हें दौड़ाता है।

कुछ दिनों से दुकान पर काम करने वाला वह लड़का दिखलाई नहीं पड़ता। आते-जाते बच्चे उसके बारे में सोचते हैं। उसका न मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आज उन्हें पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और दुकान का मालिक पास पड़ोस के नीम हकीम से दवा लेकर उसे खिलाता है।

बच्चों ने आपस में चंदा लगाकर पैसे इकट्ठे किए और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी सेवा में वे रात-दिन लगे रहे। अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर दुकान के काम पर लौट आया है और बच्चों ने पहले की तरह ही उसे पुन: चिढ़ाना और दौड़ाना शुरू कर दिया है।

-अनंत प्रसाद 'रामभरोसे'

नवगीत

सिर्फ अक्षर चीन्हते हैं
अर्थ गिरकर बीनते हैं
हम भला कैसे करें
बारह-खड़ी का सामना।।
हम अंगूठा टेकते हैं
आपका मुंह देखते हैं
दिन-दहाड़े कर रहे
धोखा-धड़ी का सामना।।
ओढ़ करके मोमजामे
झोंक में बरसात थामे
रात-दिन करना हमें
रिमझिम झड़ी का सामना।।
हर समस्या जो विकट है
आदतन अपना भी हठ है
हम समंदर-सा करेंगे
कंकड़ी-का सामना।।

-सलीम खॉ फरीद

महिला अस्मिता के सम्मान की अनूठी मिसाल

बस्तर का आदिवासी समाज

बस्तर की आदिवासी महिलाओं के अधिकार असीमित हैं। वह घर से बाहर तक की पूरी व्यवस्था संभालती हैं और हर कदम पर पति उनके साथ होता है।

■ कृषि चौपाल

आदिवासी समाज में महिला को पुरुष के बराबर स्थान हासिल है। वह उसकी सहकर्मी है। महिला की समाज और परिवार में बराबर की भागीदारी है। जी हां बस्तर की आदिवासी महिलाएं शहरी महिलाओं की तरह बात-बात पर अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की मोहताज नहीं हैं। उन्हें बाजार से सब्जी-भाजी और सौदा मंगवाने से लेकर खेतों में हल चलाने तक के लिए अपने बेटे या पति का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। वह शहरी महिलाओं से कई मायनों में बहुत ज्यादा समर्थ हैं।

ध्यातव्य है कि प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, परंतु महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उनके जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ये न सिर्फ घर के कामकाज करती हैं, बाल-बच्चे पालती हैं बल्कि पूरे दिन खेतों में काम भी करती हैं। इनका पूरा साल खेतों में कभी निराई-गुड़ाई करते तो कभी, बीज बोते गुजरता है। बस्तर की आदिवासी महिलाओं के अधिकार असीमित हैं। वह घर से बाहर तक की पूरी व्यवस्था संभालती हैं और हर कदम पर पति उनके साथ होता है।

इनके कामकाज का दायरा खेत-खलिहाल और हाट बाजार तक का है। और गांवों में दिन कटते देर नहीं लगती। इस तरह खेत का पूरा जिम्मा यही उठाती हैं। बीज लाना, उन्हें मूसलाधार बारिश में रोपना और कड़ी धूप में चौकीदारी करने के बाद काटना यह सब उन्हीं के जिम्मे है। यहां तक कि बाजार में इसे बेचने भी वही ले जाती हैं। ऐसी महिलाएं जो खेती नहीं करतीं, घर में बाड़ी में उगी सब्जियां और जंगली उत्पादों जैसे महुआ, टोरा, जलाऊ लकड़ी, लाख, आंवला, झाड़ू बुनने जैसी दस्तकारियों को परिवार की आमदनी का जरिया बना लेती हैं। और इस पूरी कवायद में पति उसके साथ रहता है। जब महिला खेत में जूझ रही होती है तो पति घर में बच्चों की देखभाल में लगा रहता है। वह उनके लिए खाना पकाता है। बारिश से बचाव के लिए छत की मरम्मत जैसे छोटे-मोटे काम करता है। आंगन की बाड़ी में सब्जियों, फलों, लताओं की संभाल करता है और घर के बुजुर्गों की देखभाल करता है।

हर कदम पर बस्तर का आदिवासी समाज पारस्परिक सहयोग और महिला अस्मिता के सम्मान की अनूठी मिसाल है। इस समाज में महिला अपनी मर्जी की मालिक है। उसकी स्वायत्तता बल्कि अधिकारिता की बढ़िया मिसाल तो यही है कि वह न केवल अपना जीवनसाथी खुद चुन सकती है बल्कि चाहे तो पहले उसे ठोंक-बजाकर परख सकती है। इस परंपरा को आदिवासी समाज में लमसेना बैठाना कहा जाता है। इसके तहत शादी के योग्य युवक को युवती के घर में रहकर काम-काज में मदद करके अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। इस परीक्षा में फेल या पास करने का अधिकार पूरी तरह से युवती पर होता है। लमसेना बैठाने की यह परंपरा सरगुजा और मंडला के गोंड समाज में भी है।

यही नहीं इससे पहले परिवार और घरेलू कामकाज के प्रशिक्षण के लिए उन्हें घोटुल जाने की छूट है। विदेशी सिनेमाकारों ने हालांकि इस परंपरा की नाइट क्लब से तुलना कर इसे खासा बदनाम कर रखा है पर वास्तव में ऐसा है नहीं। यह आदिवासी नौजवानों के संस्कार गृह हैं। घर के कामकाज से निपटकर युवक-युवती रात में यहां जुटते हैं और किसी सयानी महिला की निगरानी में नाचते-गाते और कामकाज सीखते हैं। मन मिल गया तो शादी के साथ युवा जोड़े की घोटुल से विदाई हो जाती है। वे फिर उधर का रूख नहीं कर सकते। घोटुल अब बस्तर के परिवेश से गायब हो चले हैं। शहरी खासतौर पर मीडिया की दखलंदाजी ने इस परंपरा को लुप्त होने पर मजबूर कर दिया है। पर आदिवासी युवती की निरपेक्ष स्थिति की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है?

आदिवासी युवतियों को अकेलेपन से भी डर नहीं लगता। बस्तर के सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसी कई युवतियां हैं जिनके विख्यात परिवारों में अब जायदाद संभालने वाले नहीं रहे। पर वे वहां न केवल विरासत संभाल रही हैं बल्कि उनके परिवार की छत्रछाया की दरकार रखने वाले आदिवासियों को आसरा भी दे रही हैं।

बड़े आदिवासी परिवारों की लड़कियां गांव छोड़कर दिल्ली से लंदन तक कहीं भी बस सकती थीं। उनका समर्पण देखिए, जज्बा देखिए अपने लोगों के लिए स्नेह देखिए। यह स्थिति तब है जब घने जंगलों के बीच बसे गांवों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जंगली जानवरों का खतरा मंडराता रहता है और अस्पताल में दवाइयों का पता नहीं रहता और स्कूल बदहाल हैं। यदि इन्हें शहरी लोगों से मामूली या बराबर की सुविधाएं मिल जाएं तो इनकी हिम्मत, इनका जज्बा और ताकत बेजोड़ होगी, यह तय मानिए। ●

कृषि मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन उत्पादक कार्य है। आज के युग में कृषिक्षेत्र केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रह गया है। विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों, फल प्रसंस्करण, खाद्यान्न प्रसंस्करण, पुष्पोत्पादन, डेयरी, बीज उत्पादन आदि अनेक क्षेत्र कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी अवधारणा के मद्देनजर विगत लगभग एक दशक से कृषि चौपाल का अत्यल्प संसाधनों से प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें कई बार व्यवधान भी आये। हमारी कोशिश है कि कृषि चौपाल को देश के कृषकों तथा नीति–नियंताओं तक अनवरत पहुंचाया जा सके। कृषि चौपाल के प्रकाशन में किसी भी प्रकार के रचनात्मक सहयोग का हम स्वागत करते हैं।

–संपादक

RNI REGD. NO.: DELHIN/2007/20953

Designing & Printing

UNDER ONE ROOF

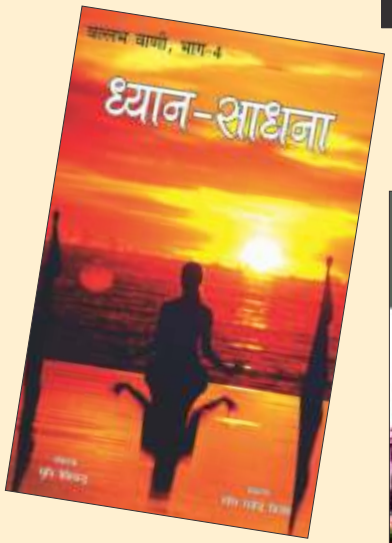

Kalpana Printographics is a Delhi based Designing and Printing company with healthy clients and reputation for creativity & service.

KALPANA PRINTOGRAPHICS

Call Us: +91 9910406059 E-mail: kpgdelhi@yahoo.com
Visit us on Facebook: kalpana printographics